सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

सूचनाओं के प्रयोग के माध्यम से कर आधार को सुदृढ़ करना

संघ सरकार

राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर

2013 की संख्या 4

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	**i**
क. कार्यकारी सार	**iii-iv**
ख. सिफारिशों का सार	**v-vi**
ग. अध्याय I : प्रस्तावना	**1-5**
ग. 1 केन्द्रीय सूचना शाखा	1
ग. 2 संगठनात्मक ढांचा	1-3
ग. 3 लेखापरीक्षा उद्देश्य	3
ग. 4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, प्रणाली, प्रतिचयन	4
ग. 5 कानूनी प्रावधान	4-5
घ. अध्याय II: सूचनाओं का संग्रहण, संकलन और प्रसार	**7-27**
घ. 1 सूचनाओं का महत्व	7-8
घ. 2 सूचनाओं के स्त्रोत	8
घ. 3 सूचनाओं का संग्रहण एवं संकलन	9-21
घ. 4 सूचनाओं का प्रसार	22-26
घ. 5 सिफारिशें	26-27
ङ. अध्याय III: सूचनाओं का प्रयोग	**28-43**
ड़ 1 प्रसारित सूचनाओं का प्रयोग	28-31
ड़ 2 एआईआर सूचनाओं को कर दायरे मे नहीं लाना	31-33
ड़ 3 नॉन फाईलर्स-स्टॉप फाईलर्स की पहचान	33-40
ड़. 4 प्रसारित सूचनाओं की मॉनीटरिंग	40-42
ड़. 5 सिफारिशें	42-43
च. अनुबन्ध	**45-48**
छ. संकेताक्षर	**49**

प्राक्कथन

सूचनाओं के प्रयोग के माध्यम से कर आधार को सुदृढ़ करने की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों से निहित मार्च 2012 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों-प्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की गई है।

हमारे निष्कर्ष मुख्यतः नवम्बर 2011 से जून 2012 तक की गई नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं।

कार्यकारी सार

• कर आधार को सुदृढ़ करना निःसन्देह प्रत्यक्ष कर प्रबन्धन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। आयकर विभाग (आईटीडी) कर डाटाबेस को सुदृढ करने के लिए आयकर विभाग में उपलब्ध/निर्धारण के दौरान निर्धारिती द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के अतिरिक्त, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का भी प्रयोग करता है।

• आईटीडी की केन्द्रीय सूचना शाखा (सीआईबी), सूचनाओं का संग्रहण कर आईटीडी सिस्टम में अपलोड करती है तथा निर्धारण अधिकारियों (एओज़) के लिए प्रसारित करती है। महानिदेशक आयकर (सतर्कता एवं आपराधिक जांच) के अधीन समूचे देश में सीआईबी के 17 संगठन हैं। एजेंसियां, आईटीडी की ओर से सूचनाओं को सीआईबी अथवा नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के "टिन" (TIN) सहायता केन्द्रों को प्रस्तुत करती है। यह महानिदेशक आयकर (सिस्टमस) द्वारा संचालित आईटीडी सिस्टम सॉफ्टवेयर के सीआईबी मॉडयूल द्वारा संचालित होता है।

• आईटीडी की वार्षिक केन्द्रीय कार्ययोजनाओं में निर्धारिती आधार में प्रतिवर्ष 15 *प्रतिशत* की वृद्धि का लक्ष्य है। उसके प्रति वित्तीय वर्ष 02 से वित्तीय वर्ष 11 की अवधि के दस वर्षों के दौरान वार्षिक वृद्धि मात्र 3.1 प्रतिशत (262 लाख से 336 लाख निर्धारिती) थी।

• हमने सूचनाओं के प्रवाह एवं प्रयोग की योजना में अनेकों कमियां पाई। आईटीडी ने सूचनाएं सभी स्रोतों से नहीं मंगवाई (पैराग्राफ 2.11)। कई सूचनाओं में निर्धारितियों के पैन जैसी मूलभूत सूचना नहीं थी जिससे वे बेकार हो गई (पैराग्राफ 2.12 तथा 2.13)। हमने गलत सूचनाओं के संप्रेषण के मामले देखे। आईटीडी ने भेजी गई इन गलत सूचनाओं को निर्धारितियों से डील करने वाले एओज़ को भिजवाने का कोई प्रयास नहीं किया (पैराग्राफ 2.19 तथा बॉक्स 2.1)। आईटीडी एजेंसियों से सूचनाएं मंगाने वाले नोटिसों का अनुपालन नहीं करा रहा था। आईटीडी ने एआईआर की अपर्याप्त फाइलिंग के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की (पैराग्राफ 2.20-2.23 तथा बॉक्स 2.2)। सीआईबी ने आईटीडी सिस्टम पर सूचना अपलोड करने में विलम्ब किया तथा चूकें की (पैराग्राफ 2.32)। उन्होंने आकडों के वर्गीकरण एवम् अनुरक्षण में चूकें की तथा सीआईबी मॉडयूल की पूरी कार्यात्मकताओं का उपयोग नहीं किया (पैराग्राफ 2.37-2.39, 2.47-2.57)।

• हमने पाया कि संवीक्षा के लिए आईटीडी द्वारा चयनित कुल मामलों में से वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 10 के दौरान औसतन 7.7 प्रतिशत मामले एआईआर सूचनाओं पर आधारित थे *(पैराग्राफ 3.1 तथा 3.2)*। हमें उच्च मूल्य वाले 285 ऐसे मामले भी मिले जहां एओज़ ने निर्धारणों के दौरान उपलब्ध उपयोगी सूचनाओ का प्रयोग नहीं किया अथवा उन्होंने तथ्यों तथा लेन-देन की शुद्धता की जांच किए बिना ही निर्धारितियों के उत्तर पर भरोसा करते हुए निर्धारण

पूरा कर दिया *(पैराग्राफ 3.3)*। एओज़ उन एआईआर सूचनाओं को भी कर के दायरे में नही लाये जहां निर्धारितियों ने खुद ही राशि प्रस्तुत की थी *(पैराग्राफ 3.5)*।

सिफारिशों का सार

सूचनाएं एकत्र करने तथा उसके संकलन के सन्दर्भ में

(पैराग्राफ 2.1 से 2.44)

1. सभी आवश्यक तथा अनुमोदित वैकल्पिक स्रोत कोडस से सूचनाएं एकत्र की जाए ;

2. एकत्रित की गई सारी सूचनाओं को सीआईबी/एनएसडीएल उसी वर्ष अपलोड करें तथा सूचनाओं को अपलोड करने में आने वाली बाधाओं को हटाया जाए ताकि संवीक्षा निर्धारण में इनका प्रयोग किया जा सके ;

3. ऐसी उचित प्रणाली स्थापित की जाए जिससे फील्ड कार्यालयों को प्रसारित करने से पहले एआईआर/सीआईबी के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों की शुद्धता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। एआईआर में अथवा आईटीडी द्वारा जारी नोटिसों के उत्तर में तथ्यात्मक सूचनाएं अशुद्ध रूप से देने के लिए कानून में प्रभावी दंडात्मक प्रावधानों की भी आवश्यकता है ;

4. नॉन एआईआर सूचनाएं एकत्रित करने में आने वाली समस्याओं से बचाव के लिए वेब आधारित सूचना एकत्रण प्रणाली के विकास की संभावनाओं की खोज की जानी चाहिए। इससे अनावश्यक तथा असंतुलित आकड़ों का भी ध्यान रखा जा सकेगा ;

5. एआईआर को फाइल करने की प्रणाली की उपयोगिता तथा उसके प्रभाव को मापने के लिए आन्तरिक समीक्षा आरम्भ की जानी चाहिए ;

6. नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित करने के लिए आपत्ति सम्बन्धी पत्रों को जारी करने तथा मामलों को डीआईटी-सीआईबी को वापस भेजने के लिए भी समय सीमा निर्धारित की जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपत्ति पत्र निर्धारित समय/तिथि को जारी किए जाते हैं तथा यदि पत्र बिना प्राप्ति के वापिस आ जाते हैं तो मामले डीआईटी-सीआईबी को निर्धारित समय अवधि में वापिस भेजे दिए जाते हैं ताकि प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी की जा सके ;

सूचनाओं के प्रसारण के संदर्भ में

(पैराग्राफ 2.45 से 2.57)

7. बिजनेस इन्टेलीजेंस उपायों सहित समुचित तन्त्र विकसित किया जाए ताकि आईटीडी तथा सूचनओं को आईटीडी को उपलब्ध करवाने वाली एजेंसियों दोनों के द्वारा उच्च मूल्य पर संग्रहीत सूचनाओं का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित हो जिससे कर आधार को सुदृढ़ तथा विस्तृत करने का उद्देश्य प्राप्त हो सके ;

8. सीआईबी मॉडयूल में उपलब्ध सभी कार्यात्मकताओं का उपयोग हो।

सूचनाओं के प्रयोग के संदर्भ में

(पैराग्राफ 3.1 से 3.28)

9. आईटीडी को विभिन्न स्तरों पर सीबीडीटी द्वारा स्थापित निगरानी प्रणाली को सुनिश्चित करना चाहिए ;

10. फार्म 60/61 में प्राप्त घोषणाओं का प्रयोग अंकीकरण तथा उसे प्रसारित करके सुनिश्चित किया जाए;

11. नॉन-पैन एआईआर मामलों के निपटान के लिए नियमित आधार पर पदासीन निर्धारण अधिकारियों के नामांकन पर जोर दिया जाए ;

12. निर्धारणों के मामलों में उपलब्ध सूचनाओं को रिकार्ड करने अथवा उसका प्रयोग करने में विफल एओज़ की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए।

अध्याय I: प्रस्तावना

1.1 कर आवरण के तहत अधिक व्यक्तियों को लाने के लिए कर आधार का विस्तारण आवश्यक है ताकि अधिक राजस्व सर्जित किया जा सके। इसलिए, आयकर विभाग (आईटीडी) कर के अपवंचन को रोकने के लिए विभिन्न स्त्रोतों से उपयोगी सूचनाओं का संग्रहण, प्रसार एवं प्रयोग करता है। आईटीडी की वार्षिक केन्द्रीय कार्ययोजनाओं का लक्ष्य नये निर्धारितियों में 15 *प्रतिशत* की वार्षिक वृद्धि करना है।

केन्द्रीय सूचना शाखा (सीआईबी)

1.2 1975[1] में गठित, सीआईबी कर डाटा बेस को मजबूत करने के लिए आईटीडी की नोडल एजेन्सी है। इसके मुख्य कार्य क्षेत्र हैं: (i) आन्तरिक एवं बाह्य स्त्रोतों से सूचना का संग्रहन, संकलन एवं निर्धारण अधिकारियों (एओज़) एवं आईटीडी में अन्य उपयोक्ताओं तक इसका प्रसार; (ii) स्टॉप-फाइलर्स एवं नॉन-फाइलर्स को चिन्हित करके कर आधार को व्यापक बनाना; (iii) संवीक्षा निर्धारणों के लिए मामलों के समुचित चुनाव के लिए सूचनाऐं उपलब्ध करा कर, कर आधार को गहन करना। सीआईबी वित्तीय लेन-देन से संबंधित सूचनाएँ एकत्र करता है जैसे निवेश, व्यय, करों का भुगतान इत्यादि एवं उन व्यक्तियों का विवरण जो किसी विशेष गतिविधि में सम्मिलित हैं। यह सूचना 40 आँतरिक एवं बाह्य स्त्रोत संहिताओं से संबंधित है **(अनुबंध)**। आयकर नियमावली, 1962 (नियमावली) के नियम 114बी के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 139ए(5)(सी) के अन्तर्गत 16 स्त्रोत ताओं सहिंताओं के संबंध में पैन का उद्धरण अनिवार्य है। आईटीडी में 17 सीआईबी कार्यालय हैं। अगस्त 2011[2] से प्रभावी, सीआईबी को डीजीआईटी- आईएवंसीआई की अध्यक्षता वाले नये गठित आयकर निदेशालय (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण) के अधीन कर दिया गया है।

1.3 आईटीडी प्रणालियों में विभिन्न स्त्रोतों से आने वाली सूचनाओं को छांटने, संकलन करने, प्रबंधन, व्यवस्थित करने एवं विश्लेषण के लिए सीआईबी मॉड्यूल हैं। सीआईबी महानिदेशक आयकर (प्रणाली) के नियंत्रणाधीन सीआईबी मॉड्यूल में सूचनाओं को अपलोड करता है।

संगठनात्मक ढाँचा

1.4 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सदस्य (अन्वेषण) के पास आईटीडी में जांच प्रबंधन का समग्र उत्तरदायित्व है। उसके अधीन महानिदेशक आयकर - (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण (डीजीआईटी-आईएवंसीआई) का संबद्ध कार्यालय है जो अगस्त

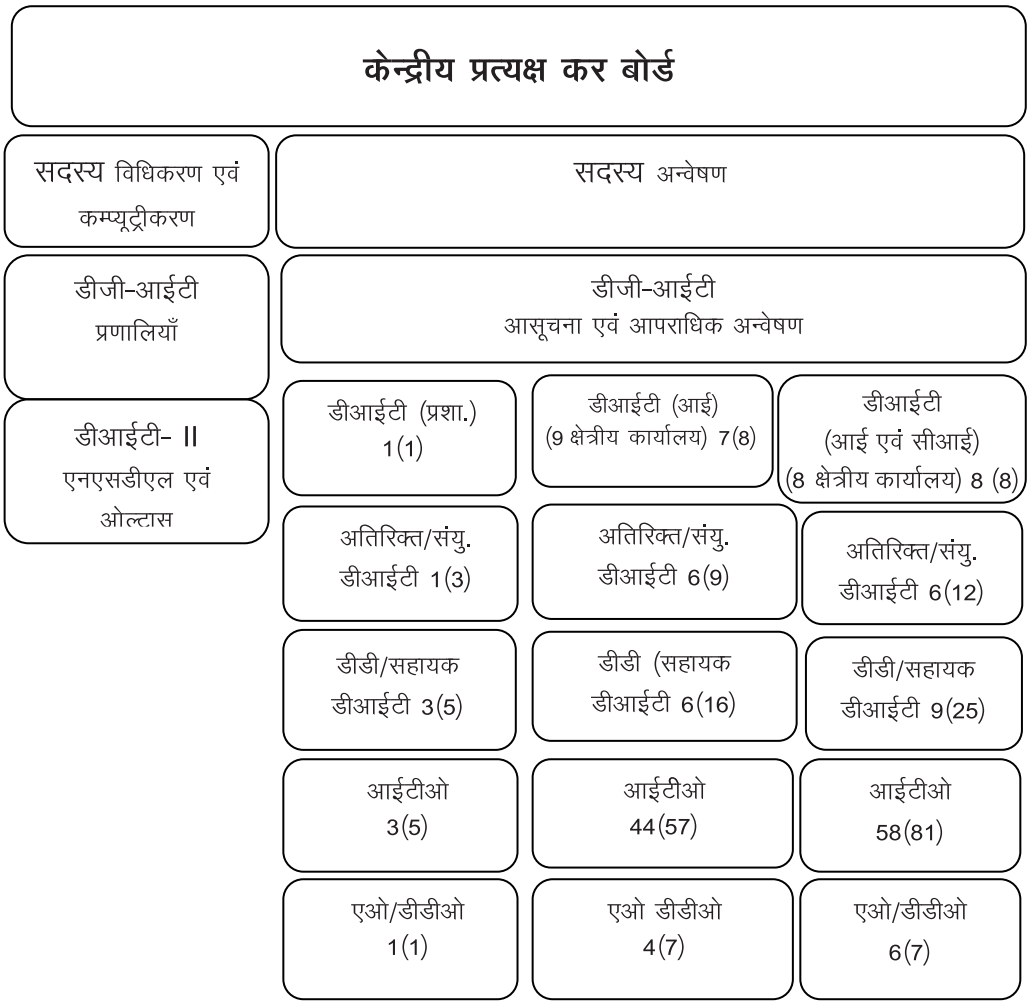
[1] सीबीडीटी ने अगस्त 1975 में सूचना ढांचे को सुचारू रूप दिया एवं इसे केन्द्रीय सूचना शाखा का नाम दिया।

[2] सीबीडीटी की अधिसूचना संख्या 42/2011 दिनांक 19.8.2011

2011 में नई दिल्ली में इसी उद्देश्य से गठित किया गया था। 17 क्षेत्रीय संगठन हैं - 08 डीआईटी (आईएवंसीआई) अहमदाबाद, चण्डीगढ, चेन्नै, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ और मुम्बई में, एवं 09 डीआईटी (आसूचना) बैंगलोर, भुवनेश्वर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, कानपुर, पुणे एवं पटना में। अगस्त 2011 में डीजीआईटी-आईएवंसीआई के गठन से पहले सीआईबी कार्यालय प्रत्येक राज्य में महानिदेशक आयकर (अन्वेषण) के अधीन कार्य करते थे।

1.5 महानिदेशक-आईटी प्रणाली (डीजीआईटी-एस) के अधीन वर्ष 1981 में स्थापित आयकर निदेशालय (प्रणाली) आईटीडी में कम्प्यूट्रीकरण की शुरूआत से संबंधित सभी गतिविधियों का शीर्ष स्तर पर समन्वय करता है। डीजीआईटी-एस 05 आयकर निदेशकों (डीआईटी) एंव 03 विशेष कार्य अधिकारियों (ओएसडी) से सहायता प्राप्त करता है। डीआईटी-II नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), ऑन-लाईन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास) एवं सीआईबी मॉड्यूल का प्रभारी है।

1.6 "सूचनाओं के प्रयोग द्वारा कर आधार को सुदृढ करने के संदर्भ में आईटीडी का ऑग्रेनोग्राम, 31 मार्च 2012 को संस्वीकृत पद संख्या (कोष्ठकों में दी गई) के प्रति वास्तविक पद संख्या के साथ इस प्रकार हैं:



1.7 डीजीआईटी-आईएवंसीआई में 1117 की संस्वीकृत पद संख्या के प्रति 599(53.63%) व्यक्तियों की समग्र[3] कमी है।

1.8 आईएवंसीआई विंग पर 31 मार्च 2012 को समाप्त पिछले चार वर्षों के दौरान बजट के प्रति किया गया व्यय नीचे तालिका 1.1 में दिया गया है।

तालिका 1.1: बजट एवं व्यय

लाख ₹

वित्तीय वर्ष	बजट	व्यय	खर्च न किया गया बजट	
			राशि	(*प्रतिशत में*)
वित्तीय वर्ष 09	2,87,014	1,71,015	1,15,999	40.4
वित्तीय वर्ष 10	2,67,570	2,25,452	42,118	15.7
वित्तीय वर्ष 11	2,72,705	2,32,013	40,692	14.9
वित्तीय वर्ष 12	3,06,197	3,00,585	5,612	1.8

हमने यह विषय क्यों चुना?

1.9 20 वर्ष से अधिक समय पहले लेखापरीक्षा ने सीआईबी की कार्यप्रणाली की समीक्षा[4] की थी। "सूचना के प्रयोग द्वारा कर आधार को सुदृढ करने " पर वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य डाटाबेस के सुदृढ़ीकरण के विकास का अध्ययन विशेषकर 01 अप्रैल 2005, से लागू अधिनियम की धारा 285बीए के तहत सीआईबी/ एनएसडीएल द्वारा वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईआर) प्रस्तुत करने की योजना के संदर्भ में, करना है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

1.10 लेखापरीक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

क) कर आधार को व्यापक बनाने एवं गहन करने की दिशा में आईटीडी द्वारा सूचना के संग्रहण, संकलन, संचरण एवं प्रयोग की प्रक्रिया का मूल्यांकन;

ख) सूचना के प्रवाह के संबंध में सीआईबी, एनएसडीएल, डीबीआईटी-एस, सीआईटी, निर्धारण अधिकारी एवं डीजी (अन्वेषण)/सीआईटी (टीडीएस) की कार्यप्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन;

ग) धारा 285 बीए के तहत 1 अप्रैल 2005 से लागू सीआईबी/एनएसडीएल के द्वारा एआईआर प्रस्तुत करने की योजना की प्रभावकारिता का मूल्यांकन।

[3] इसमें अन्य सवर्गों संवर्ग में 868 की संस्वीकृत पद संख्या के प्रति 515 व्यक्तियों की कमी सम्मिलित है।

[4] सीएजी की 1991 का प्रतिवेदन संख्या 5, संघ सरकार (राजस्व प्राप्तियाँ-प्रत्यक्ष कर) में

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

1.11 यह अध्ययन वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 तक की अवधि को कवर करता है। हमने सीआईबी एवं डीजीआईटी-एस के अभिलेखों की जाँच की एवं 16 राज्यों अर्थात असम, आन्ध्रप्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, कोलकाता, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में एओ को उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के प्रयोग की प्रति जाँच की। इन राज्यों में, हमने 17 सीआईबी कार्यालयों द्वारा संग्रहीत सूचना की जाँच की।

लेखापरीक्षा प्रणाली एवं लेखापरीक्षा के लिए प्रतिचयन

1.12 हमने सीआईबी कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच की एवं नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के टिन सुविधा केन्द्रों (टिन-एफसीज़) में एआईआर सूचना को प्राप्त करने एवं अपलोड करने की प्रक्रिया की समीक्षा की। हमने प्रत्येक चयनित राज्य में पाँच टिन-एफसीज का चयन किया। निर्धारण के दौरान सूचनाओं के प्रयोग को देखने के लिए जोखिम विश्लेषण के आधार पर प्रत्येक राज्य में पहले 30 प्रतिशत सीआईटी, अधिकतम पांच सीआईटी, तथा चयनित सीआईटी (कुल 60 सीआईटी) के अधीन सभी निर्धारण प्रभारों का चयन किया गया। इसके अतिरिक्त, हमने प्रति वर्ष प्रति चयनित प्रभार पर स्तरित बेतरतीब प्रतिचयन के आधार पर प्रति जाँच के लिए अधिकतम 100 निर्धारण मामले लिए।

कानूनी प्रावधान

1.13 अधिनियम में पैन के उद्धरण एवं विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से विनिर्दिष्ट लेन-देनों पर सूचनाऐं एकत्र करने के वैधानिक प्रावधान निहित हैं। इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी ने समय-समय पर इस संबंध में विभिन्न अनुदेश जारी किये हैं। ये इस प्रकार हैं:

क. धारा 285बीए सीआईबी के कामकाज के लिए विशिष्ट है। सीबीडीटी परिपत्र संख्या 7/2005 दिनांक 29 अगस्त 2005 निर्धारित करता है कि "विनिर्दिष्ट व्यक्तियों" द्वारा "विनिर्दिष्ट लेन-देनों" के संबंध में जो उनके द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान पंजीकृत या अभिलिखित किये गए हैं नियम 114ई की शर्तों के अनुसार एआईआर फाईल किए जाएंगे। बोर्ड ने एनएसडीएल को सीआईबी की ओर से एआईआर प्राप्त करने की एजेन्सी के रूप में प्राधिकृत किया है। एनएसडीएल ने अगस्त 2005 से एआईआर्ज़ प्राप्त करने शुरू किए हैं।

ख. नियम 114बी एवं 114सी के साथ पठित धारा 139ए के अनुसार विशिष्ट लेन-देनों में पैन का उद्धरण अनिवार्य है।

ग. बोर्ड का अनुदेश संख्या 1943 दिनांक 22 अगस्त, 1997, दिनांक 05 सितम्बर 2002 के पत्रांक एफ संख्या 414/47/2002 आईटी (आईएनवी. आई) द्वारा

संशोधित अनुदेश एवं पुनः दिनांक 22 दिसम्बर 2009 के पत्र क्रमांक 414/66/2009 (आईएनवी. आई) के द्वारा यौक्तिकीकृत अनुदेशों में सूचना के स्त्रोतों का महत्व निर्धारित किया गया है।

घ. निर्देश संख्या 6/2006 दिनांक 01 अगस्त 2006 एवं 12 फरवरी 2009 का 01/2009 इत्यादि निर्धारण के दौरान एआईआर में दी गई सूचनाओं का प्रयोग करने से सम्बन्धित हैं।

आभार

1.14 हम इस निष्पादन लेखापरीक्षा को करने के संबंध में आवश्यक अभिलेख एवं सूचना उपलब्ध कराने में आईटीडी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं। नवम्बर 2011 में सीबीडीटी के साथ एक एन्ट्री कॉन्फ्रेन्स की गई थी। बैठक में लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा जांच के मुख्य क्षेत्रों की व्याख्या की गई थी।

1.15 सीबीडीटी के साथ एक्ज़िट कान्फ्रेंस (जनवरी 2013) की गई थी। हमने सीबीडीटी के विचारों को इस प्रतिवेदन में समुचित रूप से सम्मिलित किया है।

अध्याय II: सूचनाओं का संग्रहण, संकलन और प्रसार

- सीआईबी ने सभी अनिवार्य सोर्स कोड्स और अनुमोदित वैकल्पिक सोर्स कोड्स से सूचना एकत्र नहीं की। एकत्रित सूचना का एक बड़ा भाग बिना पैन के था तथा उसकी कीमत शून्य थी।
- आईटीडी ने अपेक्षित सूचना उपलब्ध न कराने वाले, एआईआर फाईल न करने वाले, एआईआर देर से फाईल करने वाले और एआईआर में अधूरी सूचना देने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं की।
- आईटीडी के पास नियम 114बी जिसमें विशिष्ट लेन-देनों से संबंधित दस्तावेजों में पैन का उल्लेख करना अपेक्षित होता है के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।
- सीआईबी ने सूचनाऐं एकत्र करने और प्रत्याशित एआईआर फाईलर्स/नॉन-फाईलर्स का डाटाबेस नहीं बनाया।
- सीआईबी ने सीआईबी मॉडयूल के लिए समय पर और संपूर्ण ढंग से एकत्रित सूचनाओं को अपलोड नहीं किया। इसको तकनीकी कारणों के कारण सूचनाएं अपलोड करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा।
- पिछले वर्षों की सूचनाओं को चालू वर्ष की सूचनाओं के रूप में अपलोड कर दिया गया था।
- सीआईबी ने फॉर्म 60/61 में प्राप्त घोषणाओं का अंकीकरण और प्रसार नहीं किया।
- सीआईबी ने सीआईबी मॉड्यूल में उपलब्ध सभी कार्यात्मकताओं का प्रयोग नहीं किया।

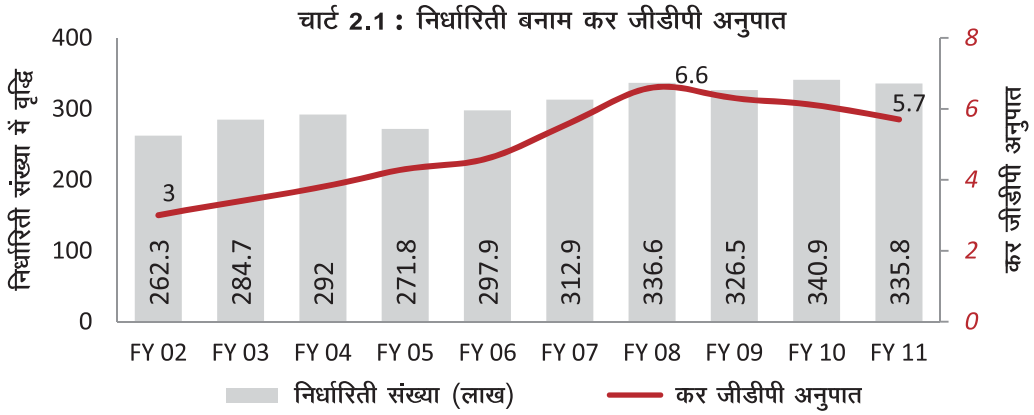
सूचनाओं का महत्व

2.1 आईटीडी विभिन्न तृतीय पक्ष के स्त्रोतों से वित्तीय लेन देनों की सूचनाऐं एकत्रित करती है जो राजस्व के संभावित स्त्रोतों की पहचान में सहायता करती है।

2.2 कर-जीडीपी[5] अनुपात जो वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शा रहा था वित्तीय वर्ष 09 में घटने लगा तथा वित्तीय वर्ष 08 में 6.6 *प्रतिशत* से घट कर वित्तीय वर्ष 11 में 5.7 *प्रतिशत* हो गया। वित्तीय वर्ष 02 से वित्तीय वर्ष 11 की अवधि के दौरान निर्धारितियों की संख्या में औसत वृद्धि 3.1 *प्रतिशत* थी। (चार्ट 2.1)

[5] बाजार मूल्य पर जीडीपी (स्त्रोतः सांख्यिकी मंत्रालय; एनएसओ)

चार्ट 2.1 : निर्धारिती बनाम कर जीडीपी अनुपात



2.3 स्पष्टतः डीजीआईटी-आईएंडसीआई (पूर्व सीआईबी) के माध्यम से सूचनाओं के एकत्रण द्वारा कर आधार को विस्तृत और सुदृढ करने की काफी गुंजाइश है।

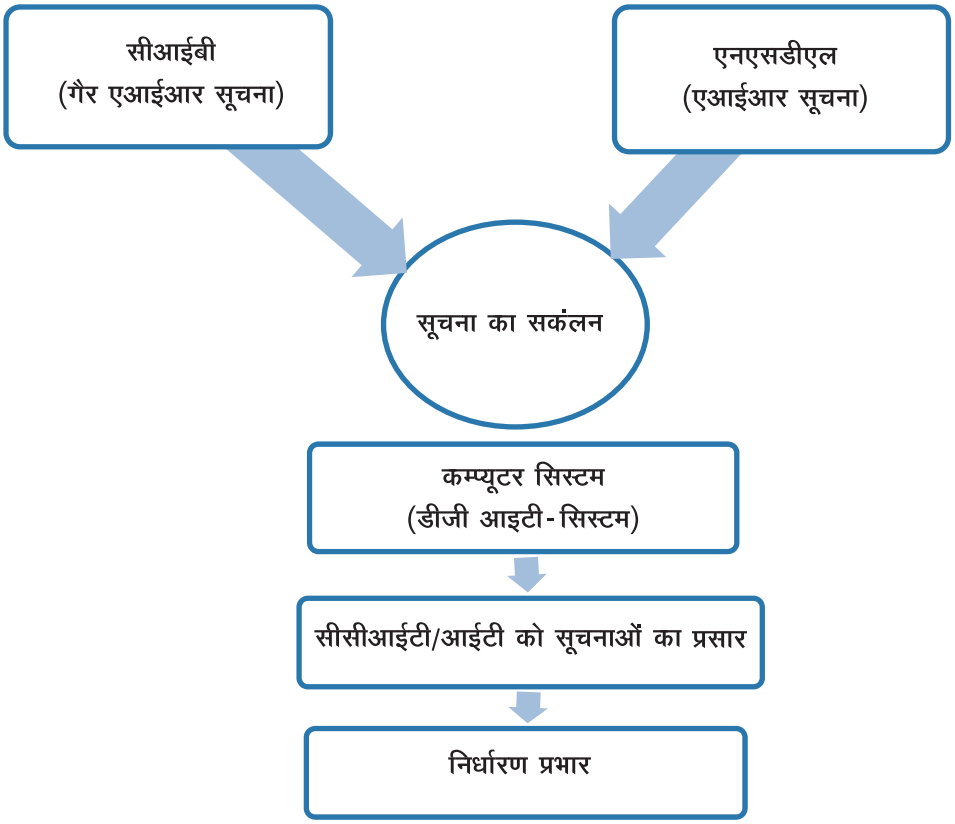
सूचनाओं के स्त्रोत

2.4 आईटीडी एआईआर के माध्यम से और सीआईबी से प्रत्यक्ष रूप से सूचना एकत्रित करता है। विभिन्न स्त्रोत जैसे बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनियां, कंपनियां, म्यूचुअल फंड, संपति के रजिस्ट्रार/सब-रजिस्ट्रार, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय उत्पादशुल्क/सीमाशुल्क/बिक्री कर विभाग डाक घर, स्थानीय प्राधिकारी, होटल/क्लब/केटरर, टेलीफोन प्रदाता, बीमा कम्पनियां आदि सूचनाएं प्रदान करते हैं। सीआईबी 40 सोर्स कोड्स जिनमें से 12 अनिवार्य (अनुबंध) हैं, से सूचनाएं प्राप्त करती हैं।

2.5 वित्तीय वर्ष 05 के दौरान, सीआईबी ने ₹ 4.38 लाख करोड़ मूल्य के 13.59 लाख सूचनाएं एकत्र की। ये सूचनाऐं वित्तीय वर्ष 12 में बढ़कर 11.17 करोड़ हो गईं जिनका मूल्य ₹ 223.53 लाख करोड़ था। वित्तीय वर्ष 05 के दौरान आईटीडी ने ₹ 14.21 लाख करोड़ मूल्य का 20.08 लाख एआईआर डाटा प्राप्त किया। यह वित्तीय वर्ष 12 में बढ़कर 46.61 लाख एआईआर डाटा हो गया जिसका मूल्य ₹ 94.30 लाख करोड़ था।

सूचना का प्रवाह

2.6 निम्नलिखित प्रवाह चार्ट सूचना के प्रवाह को स्पष्ट करता है:



वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईआर)/सीआईबी सूचनाऐं

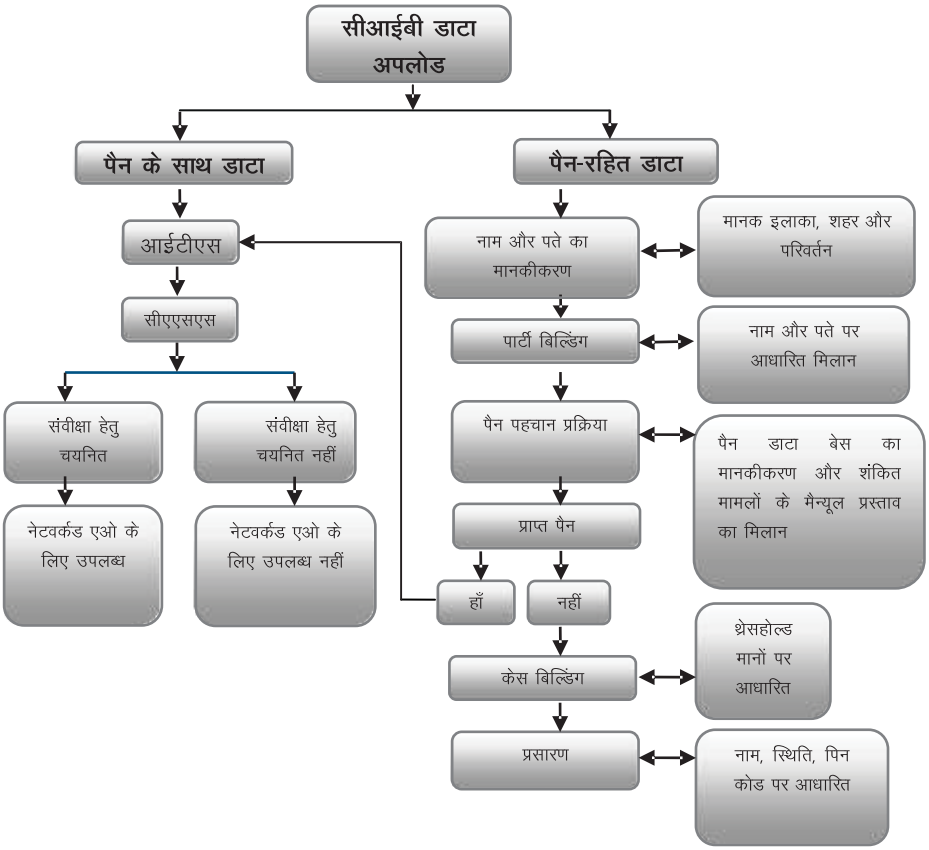
2.7 अधिनियम की धारा 285बीए और नियमावली का नियम 114ई, निर्दिष्ट करते हैं कि व्यक्तियों से निर्धारित आयकर प्राधिकारी या एजेंसी को वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद एआईआर प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। सीबीडीटी ने निर्दिष्ट व्यक्तियों से एआईआर प्राप्त करने के लिए एनएसडीएल को निर्धारित एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया है। वर्तमान में, व्यक्तियों की सात श्रेणियों द्वारा अनिवार्य रूप से एआईआर फाईल की जानी अपेक्षित है जोकि एक वर्ष में ₹ 10 लाख या अधिक नकद जमा स्वीकार करने वाले बैंक, क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक अथवा कम्पनी जहां एक वर्ष में ₹ दो लाख से अधिक के बिलों के प्रति भुगतान किया गया हो यूनिटों की बिक्री के लिए ₹ दो लाख अथवा अधिक एकत्र करने वाले म्यूचुअल फंड, बांड/ऋण-पत्र जारी करने के लिए ₹ पांच लाख अथवा अधिक प्राप्त करने वाली कम्पनी, शेयर जारी करने के लिए ₹ एक लाख अथवा अधिक प्राप्त करने वाली कम्पनी, ₹ 30 लाख से अधिक की अचल सम्पत्ति की बिक्री/खरीद के संबंध में रजिस्ट्रार/उप-रजिस्ट्रार तथा ₹ पांच लाख अथवा अधिक के बाँड जारी करने के लिए आरबीआई हैं।

आईटीडी सिस्टम के सीआईबी मॉड्यूल

2.8 आईटीडी सिस्टम के सीआईबी मॉड्यूयल लेन-देनों के पैन की पहचान करने में सहायता करते हैं। यह उन मामलों में भी पैन सूचना को अद्यतन करने की अनुमति देता है जहां सूचना नामित निर्धारण अधिकारी (डीएओ)/क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (जेएओ) द्वारा प्रश्न-पत्र जारी करके प्राप्त की गई है। इसके बाद विभिन्न आंतरिक और बाह्य स्त्रोतों से एकत्रित सूचना एओज़ और जांच स्कंद को प्रसारित कर दी जाती है।

2.9 संवीक्षा के समय पर एओ को व्यक्तिगत लेन-देन विवरण (आईटीएस) रिपोर्ट के रूप में सहायता प्रदान की जाती है, जो एक एकल रिपोर्ट में पैन के प्रति विभिन्न स्त्रोतों से सूचना एकत्र करती है और एक कर-दाता की अधिक विस्तृत वित्तीय रूप-रेखा प्रदान करती है।

2.10 आईटीडी सिस्टम के माध्यम से सीआईबी सूचना का प्रवाह (पैन सहित और पैन-रहित दोनों) नीचे दिया गया है।



सीआईबी द्वारा सभी अनिवार्य सोर्स कोड्स और अनुमोदित वैकल्पिक सोर्स कोड्स से सूचनाऐं एकत्रित नहीं की गई। एकत्रित सूचनाओं का एक बड़ा भाग पैन रहित था और उसकी कीमत शून्य थी। सभी व्यक्ति मांगी गई सूचनाएं नहीं दे रहे थे और उनके प्रति कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही थी।

सूचना एकत्रण में कमियां

2.11 सीआईबी ने वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 के दौरान 2,868.94 लाख[6] सूचनाऐं एकत्रित कीं। सीआईबी द्वारा एकत्रित सूचनाओं के विश्लेषण से ज्ञात हुआ किः

क. डीजीआईटी (आसूचना) द्वारा केरल में 10 वैकल्पिक स्त्रोतों से सूचनाऐं एकत्र करने की स्वीकृती दी गई (जून 2010)। तथापि, इन स्त्रोतों से वित्तीय वर्ष 11 में सूचना नहीं मांगी गयी थी।

ख. डीआईटी-सीआईबी, पटना द्वारा सभी अनिवार्य सोर्स कोड्स से सूचना नहीं मांगी[7] गई थी। मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि डीआईटी-सीआईबी, पटना ने सभी अनिवार्य सोर्स कोड्स से संबंधित सूचना मंगाई थी और नोटिस जारी किए थे परंतु उनमें संबंधित समयावधि का उल्लेख नहीं किया।

ग. सीआईबी को वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 11 के दौरान जारी 56,528 नोटिसों[8] में से 18,590 नोटिसों[9] के उत्तर प्राप्त नहीं हुए। डीआईटी-सीआईबी पुणे ने वित्तीय वर्ष 11 में केवल 10 मामलों में दंडात्मक कार्रवाई शुरू की और डीआईटी (सीआईबी), मुम्बई ने 2,746 मामलों में अनुस्मारक जारी करने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की। आंध्र प्रदेश में, आईटीडी ने 258 मामलों को छोड़कर गैर प्रतिवादी के प्रति दंडात्मक कार्रवाई नहीं की क्योंकि आईटीडी फाईलर्स को शिक्षित करने और अनुपालन को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया में व्यस्त था। मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि अपर डीआईटी/संयुक्त डीआईटी की कमी के कारण, कई प्रभारों में शास्तिक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।

[6] वित्तीय वर्ष 08:325.58 लाख, वित्तीय वर्ष 09: 517.19 लाख, वित्तीय वर्ष 10: 876.83 लाख और वित्तीय वर्ष 11: 1,149.34 लाख। सीआईबी, तमिलनाडु द्वारा वित्तीय वर्ष 08 और वित्तीय वर्ष 09 की जानकारी प्रदान नहीं की गई। छत्तीसगढ़ के संबंध में जानकारी शामिल है।

[7] वित्तीय वर्ष 10: सोर्स कोड 009 (i) और (ii), 010 और 011, वित्तीय वर्ष 11: सोर्स कोड 009 (i) और (ii)

[8] डीआईटी-सीआईबी, पुणेः 25,580; डीआईटी-सीआईबी) मुंबईः 7,329. डीआईटी-सीआईबी, मुंबई के संबंध में वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 10 से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं थी। आंध्र प्रदेश 7,296 (वित्तीय वर्ष 11), केरलः 7,785; मध्य प्रदेशः 8,538.

[9] डीआईटी-सीआईबी पुणेः 12,534; डीआईटी-सीआईबी); मुम्बईः 2,746; आंध्र प्रदेशः 1,870; केरलः 1,390, मध्य प्रदेशः 58.

घ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने वित्तीय वर्ष 08 और वित्तीय वर्ष 09[10] के लिए कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की। आईटीडी ने सूचना प्रस्तुत न करने के लिए एनएसई के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की। मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि वित्तीय वर्ष 10 से एनएसई से डाटा एकत्र और अपलोड कर लिया गया है।

पैन के बिना प्राप्त सूचना

2.12 केरल और पश्चिम बंगाल में एकत्रित क्रमशः 24.74 लाख और 1.55 लाख सूचनाओं में से, 19.14 लाख और 0.81 लाख सूचनाऐं अर्थात् क्रमशः 77 *प्रतिशत* और 52.2 *प्रतिशत* पैन के बिना थी।

2.13 सीआईबी कर्नाटक से संबंधित डाटा के विश्लेषण से पता चला कि वित्तीय वर्ष 09 के दौरान एकत्रित केवल 17 *प्रतिशत* सूचनाऐं पैन के साथ थी जबकि वित्तीय वर्ष 10 में यह सूचनाऐं उपलब्ध डाटा का केवल 08 *प्रतिशत* थी। हमने यह भी देखा कि वित्तीय वर्ष 09 में एकत्रित 21 *प्रतिशत* सूचनाओं का मूल्य शून्य है।

तालिका 2.1: सीआईबी, कर्नाटक द्वारा एकत्रित की गई सूचना का विवरण

वित्तीय वर्ष	एकत्रित की गई सूचनाएं	उपलब्ध कराई गई सूचनाऐं	शून्य मूल्य वाला डाटा	पैन के बिना डाटा	पैन सहित डाटा
वित्तीय वर्ष 09	2300232	2300232	489057 *(21%)*	1917613 *(83%)*	382619 *(17%)*
वित्तीय वर्ष 10	8854011	1788206	152989 *(9%)*	1645776 *(92%)*	142430 *(8%)*

समान फॉर्मेट में अनुरक्षित न की गई सूचनाएं

2.14 हमने राजस्थान, केरल, ओडिशा और बिहार में निर्धारित फॉर्मेट में सीआईबी द्वारा सूचना प्राप्ति रजिस्टर (आईआरआर) के रखरखाव में कमियाँ पाई। सीआईबी, सीआईबी मॉडयूल में अपलोड डाटा और प्रसार के बारे में विवरण का अभिलेख भी नहीं कर रहा था। सीआईबी गुजरात समान फॉर्मेट में आईआरआर अनुरक्षित नहीं कर रहा था। वह असम में आईआरआर का बिल्कुल अनुरक्षण नहीं कर रहा था और वित्तीय वर्ष 08 और वित्तीय वर्ष 09 में केरल और ओडिशा में आईआरआर का अनुरक्षण नहीं कर रहा था।

[10] वित्तीय वर्ष 10 और वित्तीय वर्ष 11 की जानकारी सीआईबी द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।

टिन एफसीज़ द्वारा संचालित एआईआर के माध्यम से सूचनाओं का संग्रहण

2.15 एआईआर की सूचना एनएसडीएल के माध्यम से अपने टिन एफसीज़ से प्राप्त की जाती है और आईटीडी प्रणाली में अपलोड की जाती है। एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं की लेखापरीक्षा जांच में टिन केन्द्रीय प्रणाली में प्राप्त और अपलोड किए गए लेनदेनों की राशि और गिनती मे अंतर पाया गया।

2.16 मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि प्राप्त और स्वीकृत लेन-देनों की राशि और गिनती में अंतर लेन-देनों की दोहरी रिपोर्टिंग के कारण टिन केन्द्रीय प्रणाली में अस्वीकृत एआईआर के कारण हैं तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि टिन केन्द्रीय प्रणाली में स्वीकृत एआईआर में लेन-देनों की राशि कई मामलों में प्राप्त लेन-देनों की राशि से अधिक थी।

2.17 हमने टिन एफसी द्वारा संचालित एआईआर सूचना में कई कमियां पाई जो इस प्रकार हैं:

क. आईटीडी को एआईआर डाटा निकालते समय एनएसडीएल से अपेक्षित है कि वह आईटीडी पैन मास्टर में पैन की उपस्थिति की जाँच करें। तथापि, हमने पाया कि टिन एफसीज़ ने एआईआर की अपलोडिंग से पूर्व केवल पैन की संरचनात्मक वैधता की जांच[11] की, अर्थात् क्या पैन में निर्दिष्ट फॉर्मेट में 10 अंक निहित है। इस प्रकार आईटीडी पैन मास्टर में पैन की उपस्थिति के बारे में कोई जांच नहीं थी। मंत्रालय का उत्तर (दिसम्बर 2012)-कि आईटीडी डाटा वैध और अवैध पैन श्रेणियां दर्शाता था और कि सीआईबी ने आवश्यकता के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की-लेखापरीक्षा आपत्ति का समाधान नहीं करता।

ख. एआईआर फाईलर गलत सूचनाओं को सही करने के लिए पूरक एआईआर दाखिल कर सकता है। तथापि, आईटीडी ने इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी। संवीक्षा मामलों के चयन के पश्चात् दाखिल पूरक एआईआर्ज़ के द्वारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। मंत्रालय का उत्तर (दिसम्बर 2012) - कि पूरक एआईआर सूचनाओं का उपयोग संवीक्षा तक ही सीमित नहीं था बल्कि यह जांच और करदाताओं का 360 डिग्री प्रोफाइल बनाने में उपयोगी है - लेखापरीक्षा के इस बिंदु का समाधान नहीं करता कि पूरक एआईआर के लिए समय सीमा निर्धारित क्यों नहीं की जा सकती।

[11] लेखापरीक्षा ने राजस्थान में 5 टिन एफसीज-शेल जयपुर (कोड न. 07020), अलंकृत जयपुर (कोड न. 01005), कार्वी जयपुर (कोड न. 05016), अलंकृत जोधपुर (कोड न. 01058), इंटिग्रेटेड इंटरप्राइजेज जोधपुर (कोड न. 03160) में संरचनात्मक वैधता का वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 की अवधि के लिए 177 एआईआरज़ के डाटा पर विश्लेषण किया। 122 एआईआर्ज़ के 11395 मामलों में से 1096 मामलों (9.62 *प्रतिशत*) में आईटीडी में संरचनात्मक वैध पैन उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, 55 एआईआर्ज़ में कोई संरचनात्मक वैध पैन नहीं था।

सूचनाओं की पूर्णता के संबंध में आश्वासन

2.18 नियम 114ई(2) के तहत, फार्म 61ए में एआईआर निर्दिष्ट लेन-देनों के संबंध में दाखिल किए जाने थे जो वित्तीय वर्ष के दौरान निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा पंजीकृत या दर्ज किए गए थे। हमने देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूचना प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति ने अपनी रिपोर्ट में सभी पात्र लेन-देनों को शामिल कर लिए था और प्रतिवेदित जानकारी सही थी, कोई खास नियन्त्रण प्रणाली नहीं थी।

गलत सूचनाएं प्रस्तुत करना

2.19 नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि एआईआर में दी गई सूचनाओं के आधार पर संवीक्षा निर्धारण के लिए चुने गये, 110 मामलों में एआईआर सूचनाऐं निर्धारण प्रक्रिया के दौरान जांच करने पर गलत पाई गई। प्रायः एओज़ ने स्पष्ट निर्देशों के अभाव में अन्य क्षेत्राधिकार में निर्धारितियों से सम्बन्धित सूचना संबंधित क्षेत्राधिकार वाले एओज़ को अग्रेषित नहीं की जिसके कारण सूचना संसाधन बेकार गए (बॉक्स 2.1 देखें)।

बॉक्स 2.1: गलत सूचना के निदर्शी मामले

क. प्रभार: डीसीआईटी 10(3), सीआईटी 10, मुबंई, निर्धारण वर्ष: 09
निर्धारिती: इन्फ्रास्ट्रक्चर लीज़िंग एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड

एआईआर सूचना के अनुसार, निर्धारिती द्वारा वित्तीय वर्ष 08 में ₹ 1,333.76 करोड़ की अचल संपत्तियों की खरीद की गई। निर्धारिती ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट किये गये लेन-देनों में से, अपने बिजनेस उद्देश्यों के लिए निर्धारिती द्वारा उधार राशियों के लिए ऋणपत्र न्यास विलेख के लिए पंजीकरण के संबंध में ₹ 1,280 करोड़ का एक लेन-देन था और अचल संपत्ति में किसी खरीद लेन-देन से संबंधित नहीं था। संयुक्त उप रजिस्ट्रार, कुर्ला ने भी तथ्यों की पुष्टि की।

ख. प्रभार: डीसीआईटी 5, सीआईटी - 3, पुणे, निर्धारण वर्ष: 09
निर्धारिती: श्री दारा एन. दमानिया

एआईआर सूचना के अनुसार निर्धारिती ने कॉसमॉस कोआपरेटिव बैंक में ₹ 3.07 करोड़ की नकद राशि जमा कराई। बाद में यह पाया गया कि निर्धारिती का उस बैंक में खाता नहीं था। बैंक ने भी नोटिस के प्रति इसकी पुष्टि की और सूचित किया कि राशि एक ट्रस्ट से जुड़े चार स्कूलों द्वारा जमा कराई गई थी जहाँ निर्धारिती केवल एक हस्ताक्षरकर्ता था।

ग. प्रभार: सीआईटी 20, कोलकाता, निर्धारण वर्ष: 10
निर्धारिती: श्री मधुचंदा कर, पैन - एईआईपीएम9031एम

एआईआर के अनुसार, निर्धारिती द्वारा वित्तीय वर्ष 09 के दौरान म्यूचुअल फंड में ₹ 20 करोड़ निवेश किये गये। निर्धारण कार्रवाई के दौरान, संपत्ति प्रबंधन कंपनी ने सूचित किया कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया निवेश, अनजाने में निर्धारिती के नाम के प्रति उल्लेखित कर दिया गया था।

घ. प्रभार: सीआईटी III, बैंगलुरू, निर्धारण वर्ष: 06
निर्धारिती: श्री नारची भाई एम पटेल, पैन - एएवाईपीपी7854एम

एआईआर सूचना में ₹ 75,750 का पंजीकरण फीस भुगतान गलती से संपत्ति के विक्रय मूल्य के रूप में ₹ 75.75 लाख उल्लिखित कर दिया गया। परिणामस्वरूप, एओ ने धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी कर निर्धारण का केस दोबारा खोल दिया और धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत दिसम्बर 2010 में बिना कोई राशि जोड़े अन्तिम रूप से तय कर दिया। इस प्रकार गलत सूचना के कारण मामला दोबारा खोला गया जो अन्यथा पुनः नहीं खोला जाना चाहिए था जिसके परिणामस्वरूप मानवशक्ति की हानि हुई।

2.20 लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि एआईआर फाईलर्स द्वारा उचित ढंग से सूचना प्रस्तुत नहीं की गईः निर्धारितियों के नाम गलत या अशुद्ध या संक्षिप्त थेः लेन-देन करने वाली पार्टी के पते उनके नामों के साथ जोड़ दिए गए थेः लेन-देन करने वाली पार्टियों के पते सही नहीं थे जिसके कारण महत्वपूर्ण सूचना नहीं मिल पाई और पैन की पहचान नहीं हुई।

आईटीडी ने एआईआर फाईल न करने वाले या देर से फाईल करने और एआईआर में अधूरी सूचनाएं देने वाले व्यक्तियों पर अर्थदण्ड नहीं लगाया।

एआईआर फाईल न करने वाले/देर से फाईल करने वालों पर अर्थदण्ड न लगाना

2.21 अधिनियम के 271एफए में यह निर्धारित है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे एआईआर फाईल करनी अपेक्षित है, निर्धारित समय में एआईआर फाईल नहीं कर पाता तो निर्धारित आयकर प्राधिकारी अर्थात् डीआईटी-सीआईबी; को फाईल न करने के समय के दौरान प्रतिदिन के लिए ₹ 100 का जुर्माना लगाने का अधिकार है। एआईआर सूचना के देरी से एकत्रण और प्रसारण के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं क्योंकि इससे निर्धारण के समय न केवल एओ द्वारा लेन-देन की शुद्धता की पुष्टि हो पाती है बल्कि उस वित्तीय वर्ष के लिए चलाये गये कास[12] चक्र द्वारा संवीक्षा के चयन के मामले भी छूट सकते हैं। इससे एआईआर सूचनाओं के एकत्रण और प्रसारण का मुख्य उद्देश्य ही विफल हो जाता है।

2.22 हमने 60 मामलों में पाया कि वित्तीय वर्ष 08 (निर्धारण वर्ष 09 के संदर्भ में) से संबंधित एआईआर्ज़ जनवरी/मार्च 2011 में अर्थात् धारा 153 के अंतर्गत निर्धारण की निर्दिष्ट समय सीमा समाप्त होने के बाद फाईल किए गए।

2.23 सीआईबी ने वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 की अवधि के दौरान एआईआर के 2,414[13] नॉन फाईलर्स/लेट फाईलर्स को नोटिस भेजे जिसमें से 1,296[14] ने एआईआर दाखिल की। 263[15] मामलों में जुर्माना लगाया गया। एआईआर के देरी से दाखिल करने के लिए दण्डात्मक कार्रवाई और धारा 133(6) के तहत जारी नोटिसों के देरी से जवाब के संबंध में डीआईटी-सीआईबी, मुंबई ने कहा कि वह इस तथ्य से निर्देशित था कि फाइलर्स कुछ कीमत और असुविधा पर डाटाबेस बनाकर आईटीडी की सहायाता कर रहे थे, इसलिए अनुनय को दंड के प्रति वरीयता दी गई थी। हरियाणा में,

[12] कंप्यूटर सहायता प्राप्त संवीक्षा प्रणाली

[13] महाराष्ट्रः 1,035 मामले; हरियाणाः 369 मामले; केरलः 230 (केवल वित्तीय वर्ष 10 और वित्तीय वर्ष 11 के लिए, वित्तीय वर्ष 08 और वित्तीय वर्ष 09 के लिए, सीआईबी, केरल द्वारा कोई सूची नही बनाई गई), तमिलनाडुः 471 (वित्तीय वर्ष 09 और वित्तीय वर्ष 10), ओडिशाः 116 (वित्तीय वर्ष 09 और वित्तीय वर्ष 10), आंध्र प्रदेशः 193 (वित्तीय वर्ष 10)

[14] महाराष्ट्रः 811, केरलः 120, आंध्र प्रदेशः 64, ओडिशाः 18, हरियाणाः 283

[15] महाराष्ट्रः 54 मामले, हरियाणाः 122 मामले, तमिलनाडुः 87

उन मामलों में जुर्माना नहीं लगाया गया जहाँ विलंब 100 दिन से कम था। आईटीडी द्वारा 2,651 एआईआर की गलत फाइलिंग/विलंब से फाइलिंग के लिए ₹ 596.78 लाख का जुर्माना[16] नहीं लगाया गया।

अधूरी सूचनाएं फाईल करने के लिए एआईआर फाईलर्स के प्रति कोई कार्रवाई न करना

2.24 हमनें 87 मामलों में पाया कि एआईआर फाईलर्स ने या तो लेन-देन की कोई सूचना नहीं दी थी या समस्त लेन-देनों की सूचनाएं नहीं दी थी। हालांकि ये सभी मामलें संवीक्षा निर्धारण के लिए चुने गये थे, फिर भी एओ द्वारा एआईआर में सभी निर्दिष्ट लेन-देनों को फाईल न करने के लिए एआईआर फाईलर के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गई (बॉक्स 2.2 देखें)।

बॉक्स 2.2: निदर्शी मामलें जहाँ पर कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गई

क. प्रभार: सीआईटी III, कोलकाता, निर्धारण वर्ष: 09
निर्धारिती: श्रीमता डेरीया सरकार, पैन-एएलक्यूपीएस3180सी

एआईआर के अनुसार, निर्धारिती ने म्यूचुअल फंड में ₹ 49.99 लाख निवेश किए थे। संवीक्षा कार्यावाही के दौरान निर्धारिती ने एआईआर में बताई गई राशि के अतिरिक्त म्यूचुअल फंड में ₹ 18 लाख का निवेश बताया जो आईटीएस में नहीं दर्शाया गया था।

ख. प्रभार: सीआईटी XX, कोलकाता, निर्धारण वर्ष: 09
निर्धारिती: सुवप्रसन्ना भट्टाचार्या, पैन-एईडीपीडी2611आर

निर्धारिती का म्यूचुअल फंड में ₹ 38 लाख का निवेश आईटीएस में नहीं दर्शाया गया था क्योंकि यह एआईआर में रिपोर्ट नहीं किया गया था।

ग. उप-रजिस्ट्रार, हवेली 20 ने डीआईटी-सीआईबी (पुणे) के अधिकार क्षेत्र के, तहत वित्तीय वर्ष 09 के लिए एआईआर में 14 लेन-देनों की सूचना दी। डीआईटी-सीआईबी ने सत्यापन के समय पाया कि ₹ 30 लाख से अधिक मूल्य के लेन-देन वाले पाँच मामलों को एआईआर में शामिल नहीं किया गया था।

[16] आंध्र प्रदेश: 2,431 मामले - ₹ 372 लाख (वित्तीय वर्ष 11), पश्चिम बंगाल: 245 मामले - ₹ 174.38 लाख (वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11) और ओडिशा: 119 मामले - ₹ 48.95 लाख (वित्तीय वर्ष 09 और वित्तीय वर्ष 10)।

आईटीडी में नियम 114बी, जिसमें विशेष लेन-देनों से सम्बंधित दस्तावेजों में पैन के वर्णन की आवश्यकता हैं, के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।

पैन उद्धृत न करना

2.25 नियम 114बी निर्धारित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस नियम में वर्णित 16 तरीके के लेन-देनों से सम्बंधित सभी दस्तावेजों में अपने परमानेन्ट अकाउंट नम्बर (पैन) को उद्धृत करना अपेक्षित है। हमने पाया कि आईटीडी में नियम 114बी के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी हालांकि अधिनियम की धारा 272बी में नियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए दण्ड का प्रावधान था।

2.26 हमने पाया कि एआईआर में सीआईबी पश्चिम बंगाल तथा डीआईटी-सीआईबी पुणे को सूचित लगभग क्रमशः 52 तथा 37 *प्रतिशत* लेन-देनों में या तो पैन नही था या अवैध पैन था। इसी प्रकार से वित्तीय वर्ष 10 में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सीआईबी को सूचित क्रमशः 59 तथा 20 *प्रतिशत* लेन-देन पैन के बिना थे अथवा उसमें गलत पैन था। इससे यह संकेत मिलता है कि आँकड़े एकत्रित करने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। हमनें एआईआर में सूचित 150 लेनदेनों[17] का सैम्पल लिया जहाँ फार्म 60/61 में घोषणा दर्शाई गई थी। हमने देखा कि अधिकतर लेन-देनों की पार्टियाँ-कम्पनियां, बैंक इत्यादि थे। इसलिए, इन वाली पार्टियों के पास पैन न होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। हमने इन लेन-देन वाली पार्टियों के पैन को तलाशने की कोशिश की तथा 127 लेन-देनों में पैन खोजने में सफल हुए।

सहकारी बैंकों का आईटीओज़ (आसूचना) को सूचनाएं देने से इनकार

2.27 केरल में बैंकिंग व्यवसाय में लगे सहकारी बैंकों/समितियों ने अधिनियम की धारा 133(6) के तहत सीआईबी को उनके द्वारा जारी नोटिसों के प्रति सूचनाऐं उपलब्ध कराने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वे अधिनियम के इस प्रावधान के अधीन अधिशासित नहीं हैं तथा उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। आईटीडी से यह अपेक्षित है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सहकारी समितिओं के पास उपलब्ध सूचनाऐं आईटीडी सिस्टम में लाई जायें। यदि आवश्यकता हो, तो बोर्ड अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर सकता है।

[17] ₹ 30 लाख से अधिक की अचल सम्पत्ति की खरीद के लिए वित्तीय वर्ष 09 में दर्ज लेन-देन से सम्बंधित डीआईटी-सीआईबी मुम्बई से एकत्रित सूचना।

नोटिसों का निपटान

2.28 हमने पाया कि राजस्थान में सीआईबी ने एआईआर के नॉन फाइलर्स को जारी नोटिसों को छः माह के अन्दर उत्तर के आधार पर समाप्त करके अथवा यह सुनिश्चित किए बिना कि एआईआर फाईल कर दिए गए थे, शास्ति लगाकर उनका निपटान कर दिया। वित्तीय वर्ष 10 तथा वित्तीय वर्ष 11 के दौरान आईटीडी ने क्रमशः 21 तथा 34 नॉन-फाइलर्स पर एआईआर न देने के लिए जुर्माना लगाया।

सीआईबी ने प्रत्याशित एआईआर फाइलर्स तथा नॉन-फाइलर्स को पहचानने के लिए डाटा बेस का उपयोग नहीं किया।

एआईआर फाइलर्स का डाटा बेस

2.29 सीआईबी विभिन्न संगठनों/व्यक्तियों को नोटिस जारी करके सूचना एकत्रित करता है। इस उद्देश्य के लिए सीआईबी को संगठनों/ व्यक्तियों के डाटाबेस को प्रयोग करने की आवश्यकता होती हैं। यह डाटाबेस प्रत्याशित एआईआर फाइलर्स तथा एआईआर नॉन-फाइलर्स की भी पहचान के लिए उपयोग किया जा सकता है। तथापि, यह प्रतीत होता है कि सीआईबी इस डाटा बेस का एआईआर के उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप गुजरात में बैंकों के शाखा कार्यालयों को जिन्हें एआईआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं थी, एआईआर फाईल न करने के लिए धारा 285 बीए(5) के तहत 48 मामलों में नोटिस जारी किए गए थे। इसी तरह से, गुजरात में 12 मामलों में जहाँ धारा 271एफए के तहत जुर्माना लगाने की कार्यवाही शुरू की गई थी

उसे अन्ततः ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि एआईआर फाइलर्स अब विद्यमान नहीं थे। हैदराबाद में, एक उप-रजिस्ट्रार कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 06 से वित्तीय वर्ष 11 के दौरान एआईआर फाइल नहीं की, परन्तु आईटीडी ने इसके प्रति कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि यह नॉन फाइलर्स की सूची में नही था।

एकत्रित सूचनाओं के आधार पर पार्टी सूचनाओं का संकलन तथा पार्टी बिल्डिंग

2.30 वित्तीय लेन-देनों के संबंध में विभिन्न स्रोतों से तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर सूचना एकत्र की जाती है। बोर्ड के सितम्बर 2006 के पत्र में सलाह दी गई थी कि एकत्रित सूचनाओं को लेन-देन करने वाली पार्टी के पैन के आधार पर व्यक्तिगत लेन-देन विवरणों (आईटीएस) के अन्दर सीआईटी-सीआईबी द्वारा पार्टी-वार संकलन की जानी चाहिए। जहाँ पैन उपलब्ध नहीं है, सीआईबी को नामवार आईटीएस तैयार करने तथा लेन-देन करने वाली पार्टियों के पैन को पहचानने के लिए सीडी फार्मेट में डीजीआईटी-एस को भेजने तथा आईटीडी प्रणाली में उन्हें अद्यतन करने की आवश्यकता हैं। आईटीडी ने उपर्युक्त सुझाई गई कार्यवाही का अनुसरण नहीं किया तथा एकत्रित जानकारी को कभी भी डीजीआईटी-एस को नहीं भेजा।

सीआईबी ने एकत्रित सूचनाओं को सीआईबी मॉड्यूल में पूर्ण तरीके से तथा समय पर अपलोड नहीं किया। इसे सूचनाओं को अपलोड करने में तकनीकी कारणों के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ा।

आईटीडी प्रणाली में सूचनाएं अपलोड करना

2.31 आईटीडी द्वारा एकत्रित सूचनाएं केवल तभी पूर्णरूप से प्रयुक्त की जा सकती है जब ये सूचनाऐं डीजीआईटी-एस द्वारा नियंत्रित केन्द्रीय प्रणाली में अपलोड की जाए तथा निर्धारण के दौरान संवीक्षा के लिए फील्ड कार्यालयों (प्रशासनिक कमिशनरों) को प्रसारित की जाए। तीसरी पार्टी के स्रोतों के आँकड़े व्यक्तिगत कर निर्धारितियों द्वारा की गई घोषणाओं की जाँच में उपयोगी हैं।

2.32 हमने देखा कि वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 10 के दौरान एकत्रित सूचनाओं के 588.53 लाख अंशों को मानव शक्ति की कमी, सीडीज के पढ़ने योग्य न होने, प्रोफार्मा निर्धारित फॉर्मेट में न होने, डीजीआईटी-एस से नए सॉफ्टवेयर की प्राप्ति में देरी तथा सॉफ्टवेयर की स्थायीकरण की समस्याओं आदि जैसे अन्य कारणों तथा तकनीकी कारणों के कारण अपलोड नहीं किया जा सका। सीआईबी कार्यालयों ने असम, राजस्थान, केरल तथा कोलकाता के अलावा एकत्रित तथा अपलोड़ की गई सूचनाओं का धन-मूल्य उपलब्ध नहीं कराया।

तालिका 2.2: आईटीडी प्रणालियों में एकत्रित तथा अपलोड की गई सूचनाओं का विवरण

आँकडे लाखों में

वित्तीय वर्ष	एकत्रित सूचनाऐं	अपलोड़ की गई सूचनाऐं
वित्तीय वर्ष 08	325.58	213.19
वित्तीय वर्ष 09	517.19	218.81
वित्तीय वर्ष 10	876.83	667.34
वित्तीय वर्ष 11	1149.34	1181.07
योग	**2868.94**	**2280.41**

वित्तीय वर्ष 08 तथा वित्तीय वर्ष 09 के लिए पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र (डीआईटी मुम्बई) में सीआईबी यूनिटों के लिए तथा वित्तीय वर्ष 10 के लिए असम में सीआईबी यूनिट के लिए अपलोड की गई सूचनाओं के आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए।

पैन/टैन से सम्बंधित समस्याएँ

2.33 डाक घरों से प्राप्त ₹ 59.49 करोड़ मूल्य की 1460 सूचनाऐं सम्बन्धित डाक घरों के टैन के अभाव के कारण अपलोड नहीं की जा सकी। राज्य के बाहर जारी की गई कर कटौती तथा लेखा संख्या (टैन) के साथ प्राप्त सूचनाऐं उस राज्य से आईटीडी प्रणाली में अपलोड नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप सीआईबी कोच्चि द्वारा वित्तीय वर्ष 11 के लिए दो लेन-देन कोडों (403 तथा 410) के तहत एकत्रित ₹ 1,680.82 करोड़ मूल्य की 17,881 सूचनाओं को आईटीडी प्रणाली में अपलोड नहीं किया जा सका।

2.34 मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि सम्बंधित अधिकार क्षेत्र के डीआईटी-सीआईबी द्वारा टैन के अधिकार क्षेत्र के बाहर के सम्बन्धित आँकड़ों को प्रणाली में अपलोड किया जा सकता है। तथापि, लेखापरीक्षा को ऐसी कोई प्रणाली नहीं मिली जिसके द्वारा ऐसे मामलों को अपलोडिंग के लिए क्षेत्राधिकारी डीआईटी-सीआईबी को हस्तांतरित किया जा सके।

सीआईबी मॉड्यूल में सूचनाओं को अपलोड करने में देरी

2.35 एनएसडीएल ने वित्तीय वर्ष 08 तथा वित्तीय वर्ष 09 के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से प्राप्त सूचनाओं को सितम्बर 2010 में और वित्तीय वर्ष 10 तथा वित्तीय वर्ष 11 के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से प्राप्त सूचनाओं को अक्तूबर 2011 में अपलोड किया।

2.36 आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल को छोड़कर सालभर की सम्पूर्ण एकत्रित सूचनाओं को उसी वर्ष के दौरान अपलोड नहीं किया जा सका। डीआईटी-सीआईबी मुम्बई ने सूचित किया कि दिनांक 17 जनवरी 2008 के अनुदेश संख्या 22 के द्वारा निर्धारित पद्धति बहुत जटिल थी तथा पूरे देश के केवल कुछ सीआईबी अधिकारी ही डॉटा अपलोड कर सके। अपलोड करने की सरलीकृत कार्यवाही को दिनांक 29 जून 2009 के आदेश संख्या 29 में बताया गया था जिसके पश्चात् पर्याप्त डॉटा अपलोड किया गया था। हमने देखा कि ₹ 50.60 करोड़ के 171 मामलों में सूचनाऐं देरी से अपलोड की गई थी जिसके परिणामस्वरूप इन सूचनाओं का संवीक्षा निर्धारण के दौरान उपयोग नहीं किया जा सका (बॉक्स 2.3 देखें)।

बॉक्स 2.3: सूचना को अपलोड करने में हुई देरी का निदर्शी मामला

सीआईटी-I सूरत प्रभार में, एक कम्पनी मै. अमर ज्वैलर्स लिमिटिड से सम्बंधित वित्तीय वर्ष 08 (निर्धारण वर्ष 09 से संगत) के सम्बंध में सीआईबी सोर्स कोड की ₹ 9.63 करोड़ मूल्य की 21 सूचनाऐं निर्धारण को पूरा करने के लिए धारा 153 के तहत निर्धारित समय सीमा के बाद 8 मार्च 2011 को अपलोड की गई।

आँकड़े अपलोड करने में समरूपता/वर्गीकरण की कमी

2.37 डीआईटी-एस नई दिल्ली ने एकरूपता के उद्देश्य से अंकीकृत डाटा संरचना[18] निर्धारित की है। स्रोत कोड एजेंसियों को सीडीज में निर्धारित फार्मेट में सूचनाऐं देनी अपेक्षित है। सीडीज में स्रोत कोड एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं की फाइल करते समय जाँच की जानी चाहिए थी। त्रुटिपूर्ण/गलत सीडीज को दुबारा जमा कराने के लिए वापिस किया जाना था।

[18] "नए आवश्यक सीआईबी कोड के लिए तीसरी पार्टी सीआईबी सूचना अपलोड करने की पद्धति" के लिए उपयोगकर्त्ता मेन्यूल का अध्याय-7

2.38 चेन्नई[19] में कुछ उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों (एसआरओ) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं की सॉफ्ट कॉपी की नमूना जाँच से पता चला कि एसआरओ द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना निर्धारित डाटा संरचना के अनुसार नहीं थी बल्कि 39 कॉलमों में से 23 कॉलमों के संबंध में डाटा संरचना भिन्न थी। इसके अलावा, लेन-देन करने वाली पार्टियों के नाम, पते जैसी महत्वपूर्ण सूचनाऐं क्षेत्रीय भाषा में थी। इससे एक रूप डाटा संरचना रखने का उद्देश्य विफल हो गया। इससे उक्त डॉटा को अपलोड करने में विलम्ब हो सकता है क्योंकि अपलोड करने से पहले उसका अनुवाद किया जाना अपेक्षित था जिसमें अनावश्यक मानवशक्ति तथा समय की देरी अन्तर्ग्रस्त थी।

2.39 मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि सीआईबी डाटा उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों के विस्तार पर विचार करते हुए, काफी एजेंसियां रिटर्न प्रेपरेशन यूटिलिटी (आरपीयू)/ फाइल्ड वेलिडेशन यूटिलिटी (एफवीयू) की आवश्कताओं के अनुपालन को कठिन मानती हैं। फिर भी फील्ड अधिकारियों ने एजेंसियों को अपने आकड़े सही निर्धारित फॉर्मेट में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

विगत वर्षों की सूचनाओं को चालू वर्ष की सूचनाओं के रूप में अपलोड किया गया था

2.40 हमने पाया कि 32 मामलों में विगत वर्षों के लेन-देनों को चालू वर्ष के लेन-देनों के रूप में अपलोड किया गया था (देखें बॉक्स 2.4)।

बॉक्स 2.4 : विगत वर्षों की सूचनाए चालू वर्ष की सूचनाओं के रूप में अपलोड करने वाले निदर्शी मामले।

क. ₹ 13.0 लाख का लेन-देन[20] जो 22 फरवरी 2002 को हुआ था, उसे वित्तीय वर्ष 08 के लेन-देन के रूप में दर्शाया गया था।

ख. एक अन्य मामले[21] में ₹ 70.30 करोड़ मूल्य की 33 एआईआर/सीआईबी सूचनाओं का प्रसार किया गया गया और वे निर्धारिती के वित्तीय वर्ष 08 के आईटीएस में दर्शायी गई थी परन्तु ये लेन-देन वित्तीय वर्ष 07 से संबंधित थे।

2.41 सीबीडीटो के अनुदेश सं.1943 दिनांक 22 अगस्त 1997 और सं. 414/66/2009 (इन I) दिनांक 22 दिसम्बर 2009 निर्धारित करता है कि डीआईटी-आई एण्ड सीआई को उस वित्तीय वर्ष के बाद जिसमें लेन-देन को पंजीकृत या रिकॉर्ड किया गया था, 01 सितम्बर और 15 सितम्बर के बीच सीआईबी स्रोत कोड सूचना का तत्काल प्रसार अपलोड करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, धारा 153 की उपधारा (1) के पहले उपबन्ध के अनुसार निर्धारण वर्ष जिसमें आय निर्धारण योग्य थी, की समाप्ति के 21 महीने गुजरने के बाद धारा 143 या 144 के अन्तर्गत कोई निर्धारण आदेश नहीं दिया जाना चाहिए।

[19] एसआरओ मायलापोर, ट्रिपलिकेन, नगामबक्कम (जॉयन्ट II थाउजेन्ट लाइटस), तेनामपेट (जायन्ट-I चेन्नई-सेंट्रल)

[20] निर्धारितीः मैं. फेयर ग्रोथ एन्टरप्राइजेस प्राईवेट लि. प्रभारः सीआईटी-II, कोलकाता, निर्धारण वर्षः 09

[21] निर्धारितीः मैं. आम्रपाली फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड, प्रभारः सीआईटी-I, अहमदाबाद निर्धारण वर्षः 09

सूचनाओं का प्रसार

2.42 सिस्टम में पैन के साथ अपलोड की गई एआईआर/सीआईबी सूचनाओं से वैयक्तिक लेन-देन विवरण (आईटीएस) प्राप्त होते है और "कॉस " द्वारा संवीक्षा के लिए मामलों को चुनते समय उपयोग के लिए उपलब्ध है। संवीक्षा के लिए चुने गए मामलों में ये डाटा एओज़ को उपलब्ध होते हैं, जोकि निर्धारण प्रक्रियाओं में उपयोगी हैं। यद्यपि, नॉन-पैन डाटा पते के आधार पर व्यवस्थित किए जाते हैं और डीजीआईटी-एस द्वारा सीसीआईटी को क्षेत्राधिकारी डीएओ/जेएओ को अगली कार्रवाई करने के लिए भेजे जाते हैं।

2.43 सीआईबी, उत्तर प्रदेश ने नॉन-पैन सूचना के प्रसार मे देरी की। सीआईटी-I , आगरा और सीआईटी गाजियाबाद को वित्तीय वर्ष 09 के लिए नॉन-पैन सूचना वाली सीडी जनवरी 2012 के महीने में मिली, अर्थात संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित अवधि के बाद । सीआईटी-I लखनऊ को यह सीडी मई 2011 को प्राप्त हुई। इसी प्रकार डीएओ, आगरा को वित्तीय वर्ष 05 से वित्तीय वर्ष 09 से संबंधित नॉन पैन वाली 9,007 सूचनाओं की सीडी अप्रैल 2010 में प्राप्त हुई। इस देरी के परिणामस्वरूप निर्धारण अवधि के कालातीत होने, लेन-देन करने वाली पार्टियों का पता ना चलने आदि के कारण सूचनाओं का प्रयोग नहीं हुआ।

2.44 फरवरी 2010 से पूर्व, सूचनाऐं डीआईटी-सीआईबी कोलकाता द्वारा संकलन या वर्गीकरण बिना समेकित रूप में ही प्रसारित की गई थी। सभी सीआईटी को उसी सीडी की प्रतियां दी गई थी। 10 चयनित इकाईयों[22] में प्राप्त सूचना ऐसे अव्यवस्थित ढंग से थी कि इन्हे पृथक नहीं किया जा सकता था जिससे कि निर्धारण के समय वांछित सूचना की पुनः प्राप्ति की जा सके। सीआईबी, कोलकाता को समीक्षा के लिए चुने गए पांच सीआईटी को भेजी गई सूचनाओं से संबंधित सूक्ष्म स्तर के विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोघ किया गया था। तथापि, सीआईबी, कोलकाता ने इसकी पूर्ति करने में अपनी असमर्थता जाहिर की और इसके लिए तर्क दिया कि डाटा को संबंधित सीसीआईटी/ सीआईटी को प्रेषित करने से पहले पिन कोड के अनुसार व्यवस्थित किया गया था और एक सीआईटी के अधिकार क्षेत्र में कई पिन कोड क्षेत्रों को कवर किया गया था। जब संबंधित विंग जिसने स्वयं ही डाटा को एकत्र, संगठित और प्रसारित किया उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकता, तो एओज़ के लिए निर्धारण करते समय इसका प्रयोग लगभग असम्भव है।

[22] प्रसारित की गई सूचना 75 चुनिंदा इकाईयों में से 65 इकाईयों को प्राप्त नहीं हुई। सिर्फ 10 इकाईयों को प्रसारित सूचना प्राप्त हुई।

सीआईबी ने फार्म 60/61 में प्राप्त घोषणाओ का अंकीकरण और प्रसार नहीं किया।

फार्म 60 और 61 के माध्यम से एकत्र सूचनाओं का प्रसार

2.45 सीबीडीटी[23] के अनुदेशों में सिफारिश की गई हैं कि सीआईटी-सीआईबी को फार्म 60/61 में दी गई सूचनाऐं पूर्व-निर्धारित फार्मेट में अंकीकृत करनी चाहिए, उन्हें पते-वार और श्रेणी-वार वर्गीकृत करना चाहिए और उन्हें आगे डीएओज़ को भेजने के लिए घोषणाओं के प्राप्त होने के एक महीनें के अन्दर इसे सीडी फॉर्मेट में सीसीआईटी को भेज देना चाहिए जो धारा 133 (6) के अन्तर्गत सीआईटी के पूर्व अनुमोदन से सूचना मांग सकेंगे। हमने देखा कि सीआईबी कार्यालयों द्वारा इस संबंध में विभिन्न तरीके अपनाए गए थे। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सीआईबी ने फार्मों[24] को प्राप्त करने के बाद डम्प कर दिया जबकि आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ने फार्म 60/61 में निहित डाटा को अंकीकृत[25] किया और इसे संबंधित सीआईटी को प्रसारित किया। तथापि कुछ राज्यों[26] में प्रसारित सूचना संबंधित निर्धारण अधिकारी तक नहीं पहुंची थी। इसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में वह सूचनाऐं जो निर्धारिती की पहचान करने में उपयोगी सिद्ध होती वह काफी हद तक अनुपयोगी रही जिसके साथ आईटीडी के दुर्लभ स्रोत-धन और मानव शक्ति की बरबादी हुई।

2.46 असम, ओडिशा, मुम्बई और दिल्ली क्षेत्रों में फार्म 60/61 के बारे में सूचनाऐं या तो उपलब्ध ही नहीं थी या निश्चेय नहीं थी। सीआईबी, कानपुर को एआईआर फाईलर्ज़ से कोई फार्म 60/61 प्राप्त नहीं हुआ था। केरल में स्टेट बैंक ग्रुप के किसी भी बैंक, आरटीओज़/एसआरटीओज़ और जिला रजिस्ट्रार/ उप-रजिस्ट्रार ने फार्म 60/61 सीआईबी कार्यालय को अग्रेषित नहीं किया।

सीआईबी ने सीआईबी मॉडयूल में उपलब्ध सभी कार्यात्मकाताओं का उपयोग नहीं किया

सीआईबी मॉडयूल में लेन-देनों का मानकीकरण

2.47 लेन-देनों में, जहां पैन उपलब्ध नहीं है, नाम और पतों के मानकीकरण की कार्यात्मकता का उपयोग नहीं किया जा रहा था। आईटीओज़ और उनके स्टाफ द्वारा लेन-देन विवरण की शुद्धता की जांच के लिए सभी मानकीकृत और गैर-मानीकृत लेन-

[23] सीबीडीटी की पत्र सं. 415/2/97-आईटी (आईएनवी) दिनाँक, सितम्बर 2006

[24] केरलः 13,247 (वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11) कर्नाटकः उ.न., तमिलनाडुः उ.न., उत्तर प्रदेश (सीआईबी लखनऊ) 5,82,251 (वित्तीय वर्ष 09 और वित्तीय वर्ष 10); पश्चिम बंगाल 73,421 (वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 10)।

[25] आन्ध्र प्रदेशः 9,95,330 सूचनाएं अंकीकृत व प्रेषित; गुजरातः 38,488 फार्म प्राप्त किए गए जिसमें से 2,264 प्रसारित किए गए; पंजाबः 2,50,301 फार्म 60/61 प्राप्त हुए और प्रसारित किए गए; हरियाणाः 25,695 सूचनाएं प्राप्त और प्रसारित की गई; राजस्थानः 69,474 फार्म अंकीकृत किए, तथापि केवल 46,832 अपलोड किए गए।

[26] हरियाणा और पंजाब

देनों की अपेक्षित ऑन लाईन समीक्षा नहीं की जा रही थी। डाटा प्रविष्टि में गलतियों के कारण नाम और पतों की गलतियों को ठीक करने का कार्य नहीं किया जा रहा था।

2.48 मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) की डाटा विस्तृत है और जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहां इन लेन-देनों मे नाम और पतों के मानकीकरण के लिए तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय कम्प्यूटर केन्द्र (एनसीसी) पर नगर क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र (आरसीसी) क्रॉस रैफरेन्स

2.49 आरसीसी और नगर क्रॉस संयोजन जो ऐसे लेन-देनों की अन्तिम मन्जिल निश्चित करने में उपयोगी है, को प्रणाली में अपनाया नहीं जा रहा था। इसी प्रकार प्रणाली में उपलब्ध अंतरित करने के विकल्प जो उन सभी लेन-देनों को जो विशिष्ट आरसीसी से संबंधित नहीं थे एनसीसी को विशिष्ट आरसीसी से संबंधित सभी लेन-देनों को एनसीसी से पुनः प्राप्त करने के लिए थे, उपयोग नही किए जा रहे थे।

2.50 मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर, 2012) कि आरसीसी-नगर संयोजन की कार्यात्मकता प्रणाली में उपलब्ध है। डाटा को क्षेत्रीय सीआईबी यूनिटों द्वारा अद्यतन किया जाना है। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए डाटा भण्डारण और विजनेस इन्टैलिजैन्स प्रोजेक्ट पर विचार किया जा रहा है।

पार्टी के नाम और पते के मानकीकरण के आधार पर लेन-देनों का संकलन ।

2.51 एआईएस मॉडयूल से इंटरफेस के माध्यम से नाम और स्थान के मानकीकरण से तीसरी पार्टियों से पैन के बिना प्राप्त लेन -देनों का नाम और पते के आधार पर संकलन के लिए उपलब्ध कार्यात्मकता का प्रयोग किया जा रहा था।

2.52 तीसरी पार्टियों से लेन-देन प्राप्त करने के बाद और उन मामलों में जहां पैन उपलब्ध नहीं हैं, वहां मानकीकृत नाम और पतें के आधार पर एकल स्थान पर एकल निर्धारिती से संबंधित सभी लेन-देनों को संकलित करके प्रणाली में पार्टियां बनाने का प्रावधान है। तथापि, हमने देखा सीआईबी मॉडयूल की कार्यात्मकता का उपयोग करते हुए निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 के दौरान प्राप्त तीसरी पार्टी की सूचनाओं का प्रयोग करते हुए ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी जिससे कर आधार को विस्तृत किया जा सके। इसी प्रकार, एक अलग पार्टी ढूंढ़ने के लिए प्रणाली में कार्यात्कमता और इससे लेन-देन के योजन, एक पार्टी से अधिक पार्टियों के साथ समान लेन-देन के योजन के संकल्प का भी निष्पादन नहीं किया जा रहा था। प्रत्येक गैर-मानकीकृत लेन-देन के लिए नई पार्टी को बनाने का कार्य भी नहीं किया गया था। पार्टियां न बनाने के कारण, तीसरी पार्टी से प्राप्त की गई सूचनाओं का उपयोग नहीं किया गया और इससे कम्प्यूट्रीकरण का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

केस बनाना

2.53 अवसीमा या बैंचमार्क के आधार पर केस बनाने और पूछ-ताछ पत्र प्रेषित करने के लिए उन्हें चिन्हित करने और एएसटी मॉडयूल के माध्यम से यह भी निश्चित करने के लिए कि जिस पार्टी का केस लिया गया है उसने रिटर्न फाईल की है या नहीं, इन के लिए कार्यात्मकता सीआईबी मॉडयूल में उपलब्ध है। तथापि, हमने पाया कि सीआईबी मॉडयूल से केस नहीं बनाये गए । निदेशालय ने कोई पूछताछ पत्र जारी नहीं किए थे। सीआईबी मॉडयूल का उपयोग करते हुए मामलों की अनुत्पत्ति के परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में सूचनाओं का प्रयोग नहीं किया गया जिसके कारण इन सूचनाओं का प्रयोग करते हुए कर आधार को विस्तृत करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इन सूचनाओं का प्रसार इसकी अन्तिम मन्जिल अर्थात संबंधित निर्धारण अधिकारी/रेंज तक नहीं पहुँच सका।

पैन के बिना प्राप्त हुई सूचनाओं का प्रयोग

2.54 प्राप्त की गई सूचनाओं के बड़े भाग का पैन के अभाव में उपयोग नहीं किया जा सका और आईटीडी द्वारा सीआईबी मॉडयूल की विभिन्न कार्यात्मकताओं का उपयोग करते हुए ऐसे मामलों को सुलझाने का कोई प्रत्यन नहीं किया गया था। ऐसे मामलों में भी जहां आईटीडी ने सूचना सफलतापूर्वक प्रसारित कर दी थी, प्रणाली में सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद भी यह सुनिश्चित करने के लिए कोई मॉनीटरिंग नहीं की गई थी कि क्या ऐसे सभी मामलें, जहां सूचना संबंधित निर्धारण अधिकारी/रेंज को प्रषित कर दी गई थी उन पर आवश्यक कार्यवाही की गई है। विभाग की सीआईबी मॉडयूल की विभिन्न कार्यात्मकताओं का उपयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई सूचनाओं के एक बड़े भाग का प्रयोग नहीं किया गया और वह प्रणाली में बन्द रहा जो संबंधित निर्धारण अधिकारी/रेंज प्रमुख को प्रसारित नहीं किया गया।

2.55 वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 के दौरान प्राप्त किए ₹ 2,830 हजार करोड़ मूल्य की कुल 2.69 करोड़ सूचनाओं में से ₹ 828 हज़ार करोड़ मूल्य की 0.71 करोड़ सूचनाऐं जो पैन के बिना प्राप्त हुई थी, लेन-देनों के संकलन न होने के कारण अनुपयोगी रही। इसके अतिरिक्त प्राप्त सूचनाओं के गैर-प्रयोग की प्रवृत्ति ने वित्तीय वर्ष 10 और वित्तीय वर्ष 11 के दौरान पूर्व वर्षों की तुलना में वृद्धि दर्शाई। अतः अन्य आईटीडी माडयूलों के साथ इन्टरफेस करके इन लेनदेनों को पैन के साथ गैर-मिलान के कारण आईटीडी इस सूचना को सीआईबी माडयूल के अन्तिम निष्कर्ष अर्थात आईटीएस रिपोर्ट तक उपयोग नहीं कर सका ताकि एओ द्वारा संवीक्षा निर्धारण के समय करदाता की अति व्यापक वित्तीय प्रोफाइल प्रस्तुत की जा सके।

2.56 इसके अतिरिक्त, सीआईबी माडयूल में प्रावधान है कि जहां संबद्ध एओ/रेंज को भेजी गई प्रत्येक मामले की प्रगति पर फीडबैक रिपोर्टों के सृजन के माध्यम से निगरानी रखी जा सकती है। तथापि, आईटीडी द्वारा ऐसी किन्हीं रिपोर्टों का सृजन नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार कर-आधार को गहन/व्यापक बनाने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सूचना के उपयोग को मानीटर करने के लिए सीआईबी माडयूल में उपलब्ध ज़रिया बिना उपयोग के रह गया।

2.57 मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि विभाग का दृष्टिकोण नमूना आधार पर जांच-पड़ताल करने का था। तथापि, पूछ-ताछ, मांग की वूसली, सर्वेक्षण और खोज मामलों की पहचान के लिए 360 डिग्री प्रोफाइल उपलब्ध है।

सिफारिशें

2.58 हम सिफारिश करते हैं किः-

क. आईटीडी को सभी अनिवार्य तथा अनुमोदित वैकल्पिक स्रोत कोडों से सूचनाऐं एकत्र करनी चाहिए। मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2012) कि सूचनाऐं, उभरती प्राथमिकताओं के प्रति उपलब्ध स्रोतों को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य तथा अनुमोदित वैकल्पिक स्रोतों से नीतिगत रूप से प्राप्त की जाती है। आईटीडी विभिन्न स्तरों पर मानवशक्ति की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है जिसके कारण कई प्रत्याशित नतीजों में गम्भीर बाधाएं आ रही हैं।

ख. सीआईबी/एनएसडीएल को समग्र संग्रहीत सूचनाऐं उसी वर्ष अपलोड करनी चाहिए ताकि इसे निर्धारण संवीक्षा में प्रयोग किया जा सके और सूचना को अपलोड करने में आने वाली बाधाओं को हटाया जाना चाहिए। मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि आईटीडी ने समस्याओं को समाप्त करने और बिना बाधा के डाटा अपलोड करने के लिए सतत प्रयास किये। केन्द्रीय कार्य योजना 2012-13 में वित्तीय लेनदेनों को सीआईबी माडयूल में लाने के लिए विशिष्ट लक्ष्य दिये गये हैं।

ग. आईटीडी को एक प्रणाली बनानी चाहिए जिससे एआईआर/सीआईबी के माध्यम से प्राप्त डाटा को फील्ड में प्रसारित करने से पहले उसकी शुद्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। एआईआर में या आईटीडी द्वारा जारी नोटिसों के उत्तर में तथ्यतः गलत सूचनाऐं देने के लिए अधिनियम में शास्तिक प्रावधानों की आवश्यकता है। मंत्रालय ने सिफारिशें नोट की (दिसम्बर 2012) और विधायी परिवर्तन की वांछनीयता, यदि कोई हो, की जाँच करने के लिए सहमति व्यक्त की।

घ. गैर-एआईआर सूचना संग्रहीत करने में समस्याओं से बचने के लिए आईटीडी को वेब आधारित सूचना संग्रहण प्रणाली विकसित करने की व्यावहार्यता को आंकना चाहिए। इससे अनावश्यक और असंतुलित डाटा का ध्यान रखा जा सकेगा। मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2012) कि मुद्दा पहले ही सीबीडीटी के पास विचाराधीन है।

ड़. आईटीडी को भी एआईआर फाइल करने की प्रणाली की उपयोगिता और प्रभावकारिता को आंकने के लिए आन्तरिक समीक्षा शुरू करनी चाहिए। मंत्रालय ने सुझाव नोट किया और सूचित किया (दिसम्बर 2012) कि सीबीडीटी ने समय-समय पर समिति/समितियां गठित की है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ माडयूल और विभिन्न रूपों में उसकी कार्यात्मकता की समीक्षा कर सके।

च. नियंत्रण तंत्र के रूप में आईटीडी को पूछताछ पत्र जारी करने तथा डीआईटी-सीआईबी को मामले वापस संदर्भित करने के लिए समय-सीमा निश्चित करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया सके कि पूछताछ पत्र एक विशिष्ट समय/तारिख को जारी किये जाते हैं और यदि पत्र बिना प्राप्ति के वापस आ जाये तो मामलें डीआईटी-सीआईबी को एक निश्चित समयावधि के भीतर भेजे जाते हैं ताकि इस कार्य-कलाप का प्रभावी मानीटरन किया जा सके। मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि डीआईटी (आसूचना) द्वारा जारी पूछ-ताछ पत्रों को प्रणाली द्वारा बनाया गया था और वे 2012-13 कार्य-योजना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर भेजे गये थे। तथापि मानव संसाधन दबाव प्रत्याशित नतीजों के लिए समस्या पैदा करते हैं।

छ. आईटीडी को कर आधार को गहन और व्यापक बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विजनेस इन्टेलीजेंस टूल्स सहित एक प्रभावी तंत्र बनाना चाहिए ताकि आईटीडी और सूचनाऐं एकत्र और प्रदान करने वाली एजेंसी, दोनों के द्वारा उच्च लागत पर संग्रहीत सूचनाओं का प्रभावी प्रयोग किया जा सके। मंत्रालय ने उत्तरदिया (दिसम्बर 2012) कि डीआईटीएस के द्वारा इन मुद्दों तथा संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए डाटा बेयर हाऊस से सम्बन्धित एक अलग परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव था। एक नया एप्लीकेसन अर्थात इन्कम टैक्स विजनेस एप्लीकेसन भी इस सुझाव का समाधान करेगा।

ज. आईटीडी, को सीआईबी माडयूल की उपलब्ध कार्यात्मकताओं का प्रयोग करना चाहिए। मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि आईटी प्रौद्यौगिकियों के निरन्तर विकास से सीआईबी कार्यात्मकताओं में सुधार हो रहा हैं। प्रयास आगे भी जारी हैं।

अध्याय III: सूचनाओं का प्रयोग

- आईटीडी की कॉस प्रणाली ने संवीक्षा के लिए मामलों का चयन किया जिसमें से मात्र 24 *प्रतिशत* मामलों में एआईआर सूचनाऐं थी।
- एओज़ ने 285 उच्च मूल्य वाले मामलों में उपयोगी उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग नहीं किया अथवा लेन-देनों के तथ्यों और औचित्य को सत्यापित किए बिना निर्धारितियों के उत्तर पर विश्वास करते हुए निर्धारणों को अन्तिम रूप दिया।
- आईटीडी ने 2,45,843 नॉन-फाइलर्स/स्टॉप फाइलर्स की पहचान की। आईटीडी ने सूचनाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए नामित निर्धारण अधिकारियों (डीएओज़) को गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के चयनित सीआईटीज में अधिसूचित नहीं किया।
- आईटीडी ने वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 की अवधि के दौरान 22.7 से 26.2 *प्रतिशत* मामलों में पैन की पहचान की। आईटीडी ने उन 2596 नॉन-पैन मामलों में नोटिस जारी नहीं किए जहाँ पते अधूरे थे। 5,355 मामलों में जारी किए गए नोटिस अवितरित वापिस प्राप्त हुए।
- एआईआर सूचना पर निर्धारण के दौरान विचार नहीं किया जा सका क्योंकि आधिकारिक सीआईबी ने एओ के अनुरोध पर प्रतिक्रिया नहीं की।
- एओ ने पुष्टि के लिए आधिकारिक सीआईबी को सूचनाऐं संदर्भित नहीं की।
- एओज़ के पास प्रसारित एआईआर सूचनाओं पर की गई कार्रवाई से संबंधित डॉटा नहीं था। चयनित प्रभार में, एओज़ ने निर्धारित रजिस्टर में सूचनाओं का रखरखाव नहीं किया।

संवीक्षा के लिए आईटीडी की कम्प्यूटर एसिस्टिड स्क्रूटनी सलेक्शन सिस्टम (कॉस) से मामलों का चयन किया गया जिसमें से मात्र 24 *प्रतिशत* मामलों में एआईआर सूचनाऐं थी।

प्रसारित सूचनाओं का प्रयोग

3.1 सारे देश में सभी निर्धारण प्रभारों के लिए एआईआर डॉटा के आधार पर कॉस द्वारा संवीक्षा के लिए चयनित मामलों की स्थिति निम्नवत् हैः

तालिका 3.1: कॉस द्वारा संवीक्षा के लिए चयनित मामले

निर्धारण वर्ष	पैन जिसकी सूचना उपलब्ध थी	कॉस में चयनित कुल मामले	चयनित एआईआर मामले		कॉस-एआईआर द्वारा चयनित पैन मामलों का %	पूरे किए गए एआईआर मामले	
			संख्या	%		संख्या	%
नि.व.08	4,19,879	82,024	14,112	17	3.4	2,959	21
नि.व. 09	5,73,891	2,31,145	36,910	16	6.4	13,747	37
नि.व. 10	7,22,829	2,32,303	80,681	35	11.2	70,433	87
जोड़	**17,16,599**	**5,45,473**	**1,31,703**	**24**	**7.7**	**87,139**	**66**

3.2 उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि संवीक्षा के लिए कॉस द्वारा चयनित मामलों में से मात्र 17 से 35 *प्रतिशत* एआईआर मामलों से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त, एआईआर से संबंधित मामलों का औसत कुल पैन मामलों जिनके लिए एआईआर सूचनाऐं उपलब्ध थी, का मात्र 7.7 *प्रतिशत* था। इस प्रकार, आईटीडी ने संवीक्षा निर्धारणों के लिए एआईआर सूचनाओं का प्रभावी रूप से प्रयोग नहीं किया।

एओज़ ने 285 उच्च मूल्य वाले मामलों में उपयोगी उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग नहीं किया अथवा लेन-देनों के तथ्यों और औचित्य को सत्यापित किए बिना निर्धारितियों के उत्तर पर विश्वास करते हुए निर्धारणों को अन्तिम रूप दे दिया।

प्रसारित सूचनाओं का उचित रूप से उपयोग नहीं किया गया

3.3 एआईआर/सीआईबी सूचनाऐं उन मामलों में, जिनका संवीक्षा के लिए चयन किया गया था एओज़ के लिए एएसटी में सुलभ है। हमने संवीक्षा के लिए चयनित 285 मामलों[27] में एआईआर सूचनाओं में सूचित किए गए ₹ 2,138.80 करोड़ के उच्च मूल्य वाले लेन-देनों को देखा जहाँ एओज़ ने संवीक्षा कार्यवाहियों के दौरान सूचनाओं पर विचार नहीं किया अथवा एआईआर फाइलर्स, डीआईटी-सीआईबी और डीजीआईटी-एस से लेन-देनों के तथ्यों एवं औचित्य को सत्यापित किए बिना निर्धारितियों के उत्तर पर विश्वास करते हुए निर्धारणों को अन्तिम रूप दे दिया। एआईआर फाइलर ने पूरक एआईआर फाईल करते हुए प्रणाली में अपलोडिड गलत सूचनाओं को परिशोधित किया लेकिन निर्धारण के समय प्रणाली से जनित रिपोर्ट में अद्यतन सूचनाऐं नहीं दर्शाई गई थी। एओज़ ने अन्य आधिकारिक यूनिटों से प्राप्त हुई सूचनाओं का उपयोग नहीं किया (बॉक्स 3.1 देखें)।

बॉक्स 3.1: प्रसारित सूचनाओं का उपयोग न करने के निदर्शी मामले

क. प्रभारः सीआईटी-II, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, निर्धारण वर्षः 09
निर्धारितीः ऑल बैंक फाइनेंस लिमिटेड, पैन-एएसीसीए 4014 डी

निर्धारिती ने म्युचुअल फण्ड्स में ₹ 6.45 करोड़ के निवेश से मना किया जिन्हें आईटीएस में दिखाया गया था। एओ ने म्युचवल फण्ड्स के प्रधान अधिकारियों को 27 दिसम्बर 2010 को धारा 133(6) के अन्तर्गत पुष्टि के लिए पत्र जारी किया जिनका उत्तर नहीं दिया गया। एओ ने इस संबंध में कोई हस्तक्षेप किए बिना 30 दिसम्बर 2010 को निर्धारण कर दिया।

ख. प्रभारः सीआईटी-XX, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, निर्धारण वर्षः 09
निर्धारितीः डा. प्रशान्ता बनर्जी, पैन-एईसीपीबी 7012

आईटीएस से पता चला कि निर्धारिती ने अपने बचत बैंक खाता में ₹ 189.66 करोड़ और ₹ 41 लाख नगद जमा किए। निर्धारिती ने ₹ 189.66 करोड़ जमा करने से मना किया। बैंक ने यह बताते हुए निर्धारिती के कथन की पुष्टि की कि गलती उनके द्वारा दायर की गई एआईआर में गलती के कारण हुई। बैंक ने पुनः सूचित किया कि उन्होंने 12 अगस्त 2009 को पूरक एआईआर विवरणी दाखिल करते हुए गलती को परिशोधित कर दिया था। तथापि,

[27] आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रभार में निर्धारण वर्ष 09 और 10 से संबंधित।

निर्धारण के समय एओ द्वारा अक्टूबर 2010 के दौरान जनित आईटीएस ने बैंक द्वारा प्रारम्भिक रूप से दायर किए गए एआईआर के आधार पर ही लेन-देनों को दिखाया। यह दर्शाता है कि प्रणाली ने पूरक एआईआर विवरणी के आधार पर आईटीएस को अद्यतन नहीं किया।

ग. प्रभारः सीआईटी-I चण्डीगढ़, निर्धारण वर्षः 09
निर्धारितीः राजिन्दर सिंह, पैन-एएनएफपीएस 7614 ए

आईटीडी ने ₹ 24.95 लाख की नगद जमा के लिए एआईआर सूचना के आधार पर इस मामले का चयन किया। निर्धारण आदेश में उल्लेख किया गया कि ₹ 8 लाख कृषि भूमि की बिक्री से प्राप्त हुए थे, तथापि, अन्तरीय राशि की संवीक्षा कार्यवाहियों के दौरान चर्चा नहीं की गई थी।

3.4 मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि अद्यतन की गई सूचनाओं को पर्याप्त रूप से दिखाया जा रहा है और उसकी उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि मंत्रालय का उत्तर उपर्युक्त नोट की गई आपत्तियों से भिन्न है।

प्रसारित सूचनाओं पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई

3.5 हमने तीन मामलों[28] में देखा कि संबंधित एओ प्रसारित सूचनाओं का उपयोग करने में विफल रहा। इन मामलों में संवीक्षा कार्यवाहियों को या तो नोटिस जारी करने में विलम्ब के कारण बन्द कर दिया गया था अथवा संवीक्षा में मामले के चयन की सूचना देते हुए निर्धारिती को नोटिस कभी नहीं भेजा गया था। तथापि, इन मामलों को 2009 की सीबीडीटी अनुदेश सं. 1 के पैरा 6 के अनुसार पुनः खोला जा सकता सकता था। एओ की ओर से चूक के परिणामस्वरूप संवीक्षा के अन्तर्गत निर्धारण पूर्ण नहीं हुए और परिणाम स्वरूप एआईआर सूचनाओं का सत्यापन नहीं हुआ (बॉक्स 3.2 देखें)।

बॉक्स 3.2: अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई पर निदर्शी मामले

क. प्रभारः सीआईटी II, दिल्ली, निर्धारण वर्षः 10
निर्धारितीः मैसर्स मेक्सफन बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारिती ने 31 मार्च 2010 को 'शून्य' आय पर आय की ई-रिटर्न दाखिल की और 3 अप्रैल 2010 को ₹ 0.63 लाख की हानि पर संशोधित विवरणी दाखिल की। आईटीडी ने ₹ 5.65 करोड़ के लिए अचल सम्पति की बिक्री की एआईआर सूचना के आधार पर संवीक्षा के लिए कॉस द्वारा इसका चयन किया। एओ ने 26 अगस्त 2011 को धारा 143(2) के अन्तर्गत सांविधिक नोटिस जारी किया। एओ ने यह विचार करते हुए धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस के जारी करने के लिए मामले की जाँच करने के लिए दिनांक 23 दिसम्बर 2012 के सीआईटी के आदेश के बावजूद 28 दिसम्बर 2012 को कार्यवाहियों को बन्द कर दिया कि निर्धारिती संशोधित विवरणी दाखिल करने के लिए पात्र नहीं था क्योंकि उसके द्वारा दायर की गई मूल विवरणी समय के अन्दर नहीं थी और मूल विवरणी के आधार पर कार्यवाहियों का प्रारम्भ करना सम्भव नहीं था क्योंकि नोटिस जारी करने के लिए समय समाप्त हो गया था।
केन्द्रीकृत संसाधन विवरणी योजना, 2011 में निर्धारित किया गया कि वैध ई-रिटर्न के लिए यह आवश्यक है कि फॉर्म आईटीआर-V निर्दिष्ट अवधि के अन्दर सीपीसी तक पहुँच जाए।

[28] हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र प्रत्येक में एक मामला

डीआईटी (प्रणाली) ने सूचित किया (मई 2012) कि सीपीसी को निर्धारिती द्वारा दायर की गई मूल विवरणी की आईटीआर-V प्राप्त नहीं हुई। आईटीआर-V के अभाव में मूल विवरणी को आईटीडी अनुप्रयोग में संसाधित नहीं किया जा सकता और इसका चयन कॉस में भी नहीं किया जा सकता। तथापि, संशोधित विवरणी की आईटीआर-V 07 मई 2010 को प्राप्त हुई थी। इसलिए, निर्धारिती द्वारा दायर की गई संशोधित विवरणी को सीपीसी द्वारा धारा 143(1) के अन्तर्गत मूल विवरणी के रूप में संसाधित किया गया था। इसके अतिरिक्त, इसी विवरणी का चयन 7 अगस्त 2011 को कॉस में भी किया गया था जिसके लिए धारा 143(2) के अन्तर्गत नोटिस 26 अगस्त 2011 को जारी किया गया था। चूँकि मूल विवरणी वैध विवरणी नहीं थी इसलिए आगामी दायर की गई विवरणी (संशोधित विवरणी) को मूल विवरणी के रूप में माना जाना था और धारा 143(3) के अन्तर्गत निर्धारण की कार्यवाहियों को ड्रॉप करने के बजाए इस आगामी विवरणी पर पूरा किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, विवरणी के दायर करने में विलम्ब के लिए दाण्ड़िक कार्रवाई एओ द्वारा की जानी चाहिए थी। इस प्रकार, एओ की कार्रवाई पूर्णतः अनियमित थी क्योंकि उसने पहली (मूल) विवरणी की वैधता पर ध्यान नहीं दिया। उसने धारा 148 के अन्तर्गत मामले को पुनः खोलने के लिए सीआईटी के अनुदेशों का अनुसरण भी नहीं किया।

ख. प्रभारः सीआईटी-2, नागपुर, महाराष्ट्र, निर्धारण वर्षः 09
निर्धारितीः श्री आलोक अम्बर बासु, पैन-एबीएनपीबी 7624बी

आईटीडी ने 07 सितम्बर 2007 को ₹ 79.99 लाख के लिए अचल सम्पति की बिक्री की एआईआर सूचना के आधार पर संवीक्षा के लिए इस मामले का चयन किया जिसकी पुष्टि उप-रजिस्ट्रार द्वारा भी की गई थी और धारा 143(2) के अन्तर्गत नोटिस 20 अगस्त 2009 को जारी किया गया था। संवीक्षा कार्यवाहियों को यह बताते हुए 09 दिसम्बर 2010 को बन्द कर दिया गया था कि नोटिस निर्धारिती को नहीं भेजा गया था।

ग. प्रभारः सीआईटी पंचकुला, हरियाणा, निर्धारण वर्षः 09
निर्धारितीः संजीव सरदाना, पैन एबीएमपीएस1166एल

आईटीडी ने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ₹ 34.49 लाख के भुगतान की एआईआर सूचना के आधार पर संवीक्षा के लिए मामले का चयन किया और धारा 143(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया। प्रत्युत्तर में निर्धारिती ने विरोध किया कि उसने जुलाई 2008 में विवरणी दाखिल की थी और इसे लगभग एक वर्ष के विलम्ब के बाद 26 अगस्त 2010 को नोटिस प्राप्त हुआ था और कार्यवाहियों को बन्द करने का अनुरोध किया। एओ ने मामले को पुनः खोलने के बजाए दिसम्बर 2010 में कार्यवाहियों को बन्द कर दिया।

निर्धारिती द्वारा घोषणा के बावजूद एआईआर सूचनाओं को कर के दायरे में नहीं लाया गया

3.6 हमने दो मामले देखे जिनका चयन एआईआर सूचना के आधार पर कॉस के अन्तर्गत संवीक्षा के लिए किया गया था लेकिन निर्धारिती द्वारा उसकी संशोधित विवरणी में आय के रूप में एआईआर सूचित सूचना की राशि की घोषणा करने और इस राशि पर कर अदा करने के बावजूद भी एओ ने सूचना पर विचार नहीं किया (बॉक्स 3.3 देखें)।

बॉक्स 3.3: कर के दायरे में न लाई गई सूचनाओं पर निदर्शी मामले

प्रभारः सीआईटी भोपाल, मध्य प्रदेश, निर्धारण वर्षः09

निर्धारितीः संजय श्रीवास्तव (पैन-एसीएनपीएस5131पी) और पंकज श्रीवास्तव (पैन-एसीएनपीएस5129एच)

दोनों निर्धारितियों ने क्रमशः ₹ 5.44 लाख और ₹ 5.06 लाख करयोग्य आय की घोषणा करते हुए 29 सितम्बर 2008 को अपनी विवरणी दाखिल की। आईटीडी ने प्रत्येक मामले में ₹ 30.01 लाख की नगद जमा की एआईआर सूचना के आधार पर कॉस के अन्तर्गत संवीक्षा के लिए इन मामलों का चयन किया और 10 सितम्बर 2009 को धारा 143(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किए। संवीक्षा निर्धारण के दौरान, एओ ने एआईआर सूचना के बारे में कोई विशिष्ट पूछताछ नहीं की और एआईआर सूचना के बारे में निर्धारण आदेशों में कोई उल्लेख भी नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 30.01 लाख की नगद जमा की एआईआर सूचनाओं को उनकी संशोधित विवरणियों जिन्हें 22 दिसम्बर 2009 को दाखिल किया गया था, में अन्य स्रोतों से आय के रूप में दोनो निर्धारितियों द्वारा दिखाए जाने और अक्टूबर 2009 में धारा 140 ए के अन्तर्गत कथित राशि पर कर अदा करने के बावजूद करयोग्य आय के रूप में मूल दाखिल की गई आय का अवधारण करते हुए एओ ने 16 नवम्बर 2010 को संवीक्षा निर्धारण पूरा कर दिया।

एआईआर के आधार पर संवीक्षा के लिए कॉस द्वारा चयनित मामलों को संवीक्षा के लिए नहीं लिया गया था।

3.7 हमने देखा कि पाँच चयनित मामलों को संबंधित एओज़ द्वारा संवीक्षा के लिए नहीं लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.61 करोड़ की एआईआर सूचनाओं का सत्यापन नहीं हुआ।

क. दिल्ली में डीजीआईटी-एस ने संवीक्षा के लिए एआईआर सूचना के आधार पर कॉस के अन्तर्गत चयनित मामलों की सूची (सॉफ्ट कॉपी) मुहैया कराई। हमने चार मामले[29] देखे जिनमें ₹ 3.57 करोड़ की एआईआर शामिल थी जिनका चयन कॉस एआईआर के अन्तर्गत किया गया था लेकिन संबंधित एओ ने इन मामलों के चयन से मना किया। डीजीआईटी-एस ने स्पष्ट किया कि इन मामलों में धारा 143(2) के अन्तर्गत नोटिस बनाए गए थे।

ब. कॉस ने ₹ 5.04 करोड़ की एआईआर सूचनाओं के आधार पर संवीक्षा के लिए **रामचन्द्र राधाकृष्ण, पैन-एएजीपीआर 9058 एम**[30] का मामला चुना। लेखापरीक्षा में देखा गया कि डीसीआर में इस मामले का उल्लेख नहीं था और आईटीडी ने भी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए।

[29] निर्धारण वर्ष 2008-09 और 2010-11 से संबंधित

[30] प्रभारः सीआईटी गाजियाबाद (अब सीआईटी, नोएडा), निर्धारण वर्षः 2008-09

दर्शायी गई सूचनाओं का निर्धारिती से कोई संबंध नहीं

3.8 एआईआर फाईलर्स को यह सुनिश्चित करना है कि एआईआर में पैन सही भरा जाय। 16 मामलों[31] में हमने देखा कि बताई गई एआईआर सूचनाओं का संबंधित निर्धारिती से कोई संबंध नहीं था लेकिन दर्शाया गया पैन निर्धारिती का ही था (बॉक्स 3.4 देखें)।

बॉक्स 3.4: दर्शायी गई सूचनाऐं निर्धारिती से संबंधित नहीं होने के निदर्शी मामले

अ. प्रभारः सीआईटी पंचकुला, हरियाणा; निर्धारण वर्षः 10
निर्धारितीः वीर सिंह, पैन-एआरजीपीएस4907एच

संवीक्षा कार्यवाही के दौरान एओ ने देखा कि ₹ 43.51 लाख की संपत्ति की खरीद के लिए दी गई सूचना में गलत पैन दर्शाया गया था; वास्तव में लेन-देन दूसरे निर्धारिती (मिहिर चन्द्र कान्त शाह) से संबंधित था।

ब. प्रभारः वार्ड 11(2), सीआईटी-I, कर्नाटक; निर्धारण वर्षः 09
निर्धारितीः बी. नागराजन, पैन-एएएफपीएन1966आर

एआईआर फाईलर ने निर्धारिती की कंपनी के रूप में समान नाम वाली दूसरी कंपनी की सूचनाऐं फाइल कर दी। एआईआर फाईलरों के एआईआर में सही पैन दर्शाने को सुनिश्चित करने में विफलता के फलस्वरूप निर्धारिती को असुविधा हुई।

3.9 मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि प्रणाली में दिये गये असंगत पताका के माध्यम से पैन नाम और लेनदेन नाम के बीच किसी प्रकार की असंगतता की पहचान करने की सुविधा है। इसे विभिन्न शाखा प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। मंत्रालय के उत्तर में लेखापरीक्षा में उठाये गये मुद्दे का कोई ज़िकर नहीं है।

आईटीडी ने 2,45,843 नॉन फाईलर्स/स्टॉप फाईलर्स की पहचान की। आईटीडी ने गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चयनित सीआईटी प्रभार में सूचनाओं की जाँच के लिए नामित निर्धारण अधिकारियों (डीएओज़) को अधिसूचित नहीं किया।

नॉन फाईलर्स/स्टॉप फाईलर्स की पहचान

3.10 आईटीडी ने 2,45,843 नॉन फाईलर्स/स्टॉप फाईलर्स[32] की पहचान[33] की। चूँकि एआईआर/सीआईबी जानकारी जुटाने का एक आधारभूत उद्देश्य नॉन फाईलर्स की पहचान करना और कर-आधार को व्यापक बनाना था, अतः नॉन फाईलर्स की सूची न बनाने के परिणामस्वरूप आईटीडी के कर आधार को मजबूत करने की पहल को संभावित नॉन फाईलर्स की पहचान न होने से नुकसान हुआ है। हमने नॉन फाईलर्स/स्टाप फाईलर्स की पहचान से संबंधित निम्नलिखित मुद्दे देखेः

[31] निर्धारण वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 से संबंधित हरियाणा में एक मामला, कर्नाटक में 10 मामले और राजस्थान में पांच मामले

[32] आंध्र प्रदेशः 10327 (वित्तीय वर्ष 10), दिल्लीः 57,254 (वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 10), पंजाबः 21,253 (वित्तीय वर्ष 08 और वित्तीय वर्ष 09), राजस्थानः 10,257, मध्य प्रदेशः 17,526 महाराष्ट्रः 1,14,118, उत्तर प्रदेशः 1,755 और पश्चिम बंगालः 13,353

[33] निर्देश सं. 1/2009 दिनांक 12.02.2009 का पैरा 3 एवं 4

क. दिल्ली में, सीआईटी-सीओ ने वित्तीय वर्ष 08 और वित्तीय वर्ष 09 के लिए नॉन फाईलर्स की सूची 26 दिसम्बर 2011 को तथा वित्तीय वर्ष 10 के लिए 07 फरवरी 2012 को अर्थात क्रमशः 32 महीने, 20 महीने और 10 महीने बीत जाने के बाद सीसीआईटी-I, दिल्ली के समन्वय विंग को अग्रेषित की। वित्तीय वर्ष 11 के लिए नॉन फाईलर्स की सूची अभी भी परिचालित की जानी थी (मई 2012)।

ख. महाराष्ट्र में, पाँच चयनित सीआईटी में आईटीडी ने चिन्हित 1,14,118 में से 23,051 नॉन फाईलर्स/स्टॉप फाईलर्स के विरूद्ध कार्रवाई की और टैक्स के दायरे में 82 नए निर्धारिती लाए गए। हालाँकि, आईटीडी ने सीआईटी 8 और सीआईटी 11, मुंबई में टैक्स नैट में निर्धारिती नहीं जोड़े यद्यपि क्रमशः 48,014 और 50,665 नॉन फाईलर्स/स्टॉप फाईलर्स थे।

ग. तमिलनाडु में, सीआईटी-सीओ, चेन्नई ने बताया कि सूचना देना डीजीआईटी-एस के कार्यक्षेत्र में था।

घ. हरियाणा में, सीआईटी पंचकुला के प्रभाराधीन डीएओज़ ने बताया कि उनके पास कोई नॉन-पैन मामले उपलब्ध नहीं थे। वित्तीय वर्ष 08 के लिए डॉटा प्राप्त नहीं हुआ था, जबकि वित्तीय वर्ष 09 के लिए डॉटा जनवरी 2012 में प्राप्त हुआ।

ड. एआईआर में लेनदेन के आधार पर स्टॉप फाईलर्स सहित नॉन फाईलर्स की संख्या तथा उसी वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की स्थिति सृजन के उपरान्त निर्देशानुसार संबंधित एओज़ को सूचित करने के संबंध में चयनित सीआईटी (सीओ) प्रभार में कोई सूचना/सूची[34] नहीं थी।

नामित निर्धारण अधिकारियों (डीएओज़) की नियुक्ति

3.11 कैडर कंट्रोलिंग सीसीआईटी को उन स्टेशनों जहाँ निर्धारिती (जिन्हे धारा 142(1) के अन्तर्गत नोटिस जारी किए जाने थे) स्थित थे, पर कार्यदबाव के अनुसार एक या अधिक एओज़ (अर्थात् नामित एओज़) के समवर्ती क्षेत्राधिकार पर आदेश पास करने आवश्यक थे। नामित निर्धारण अधिकारी (डीएओज़) नॉन-पैन एआईआर की सूचनाओं के संबंध में निर्धारितियों की पहचान करने के लिए उत्तरदायी थे। हमने गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश[35] और पश्चिम बंगाल में चयनित सीआईटी प्रभार में देखा कि वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 के दौरान आईटीडी ने डीएओज़ को अधिसूचित नहीं किया।

[34] असम, गुजरात, केरल और ओडिशा

[35] सीआईटी-वाराणसी, गाजियाबाद एवं सीआईटी-II, कानपुर में नहीं और सीआईटी-I, लखनऊ में अक्टूबर 2011 में नियुक्त।

क. दिल्ली में, सीसीआईटी-I के समन्वय विंग ने बताया कि निर्धारण वर्ष 07 और निर्धारण वर्ष 08 के लिए डीएओज़ के अंतिम बैच को नवम्बर 2008 में नामित किया गया था।

ख. तमिलनाडु में, आईटीओ, बिजनेस वार्ड IV (3), चेन्नई को जून 2006 में सीसीआईटी-I से VI चेन्नई और डीजीआईटी (जाँच) के क्षेत्राधिकार के लिए डीएओ के रूप में नामित किया गया था। हालांकि, सीसीआईटी-त्रिच्ची/मदुरै/कोयम्बटूर के अधीन आने वाले क्षेत्राधिकारों के लिए डीएओज़ फरवरी 2012 में नामित किए गए थे। चेन्नई क्षेत्राधिकार डीएओ के संबंध में पैन के बिना एआईआर सूचनाओं के संबंध में निर्धारितियों की पहचान करने हेतु आईटीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की।

नॉन फाईलर्स को पूछताछ पत्रों का निर्गमन

3.12 सीबीडीटी के निर्देश स. 01/2009 के पैरा 3(बी) और 4(बी) में यह प्रावधान है कि पैन सहित/पैन रहित एआईआर सूचनाओं के मामले में, जेएओ/डीएओ लेनदेन करने वाली सभी गैर-सरकारी पार्टियों को निर्धारिती की पहचान करने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में पूछताछ पत्र जारी करेगें। यदि, पैन रहित सूचनाओं के पत्र के उत्तर के आधार पर यह पाया जाता है कि व्यक्ति एक मौजूदा निर्धारिती है, तो उत्तर/रिटर्न के साथ पत्र और एआईआर सूचनाऐं पैरा 4(ii) और (iii) के अनुसार कार्रवाई करने हेतु डीएओ द्वारा जेएओ को भेजी जानी चाहिए।

क. दिल्ली में, वित्तिय वर्ष 09[36] के दौरान पैन रहित एआईआर सूचनाओं के 96,157 मामले थे। डीआईटी (आई और सीआई) ने बताया कि 14,529 पूछताछ पत्र उन व्यक्तियों को जारी किये गये थे जो वित्तीय वर्ष 11 के दौरान उच्च मूल्य लेन-देनों में शामिल थे।

ख. राजस्थान[37] मे, चुनिंदा इकाईयों के जेएओज़ द्वारा नॉन-फाईलर्स को पूछताछ पत्र जारी नहीं किये गये थे।

ग. मध्य प्रदेश में, यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 की समयावधि के दौरान प्राप्त पैन रहित 5,305 एआईआर/सीआईबी सूचनाओं से 3,388 सूचनाओं पर ही दो डीएओज़[38] द्वारा कार्रवाई की गई थी। जबकि, वे मार्च 2011 तक 1,917 सूचनाओं पर कोई भी कार्रवाई शुरू करने में विफल रहे।

[36] वित्तीय वर्ष 08, वित्तीय वर्ष 10 और वित्तीय वर्ष 11 की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई।

[37] वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 के दौरान 10,257 संख्या वाले चुनिंदा सीआईटी के अन्तर्गत 36 जेएओज़ (121 नॉन फाईलरों को नोटिस जारी करने वाले छः जेएओज़ को छोड़कर) द्वारा।

[38] डीएओ/आईटीओ 1(1), भोपाल और डीएओ/आईटीओ 3(3), इन्दौर

घ. ओडिशा में, पैन रहित एआईआर के मामलों के संबंध में वित्तीय वर्ष 11 के दौरान जारी किये गये 1958 पूछताछ पत्रों में से, 343 पत्र अवितरित रहे, 680 मामलों के संबंध में उत्तर प्राप्त हुए थे और 935 मामलों के संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए।

वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 के दौरान आईटीडी द्वारा 22.7 से 26.2 *प्रतिशत* मामलों में पैन की पहचान की गई। आईटीडी द्वारा अपूर्ण पते वाले 2,596 नॉन-पैन मामलों में नोटिस जारी नहीं किए। 5,355 मामलों में जारी नोटिस बिना डिलीवरी के वापस आ गए।

पैन की पहचान

3.13 अगस्त 2006 के निर्देश स. 6/2006 के पैरा 10 में, यह कहा गया था कि एआईआर फाइलर द्वारा पैन उद्धृत न किये गये लेन-देनों के संबंध में व्यक्तियों के पैन का पता लगाने के लिए, डीजीआईटी-एस ने मल्टी इटरेटिव फोनेटिक पैटर्न रिकगनिशन एलगोरीथम (एमआईपीपीआरए) सॉफ्टवेयर विकसित किया है। अतः तद्नुसार, यह निर्देश दिया गया कि एआईआर सूचनाओं वाले परंतु पैन रहित मामलों के संबंध में डीआईटी-एस के दिनांक 20 दिसम्बर 2005 के पत्र के अनुसरण में धारा 142(1) के अन्तर्गत कोई नया नोटिस जारी नहीं किया जानी चाहिए। डीआईटी-एस, नई दिल्ली ने सूचित किया कि आईटीडी ने यह सॉफ्टवेयर कभी शुरू ही नहीं किया। यह वित्तीय वर्ष 07 में प्रयोग में लाया गया एक पायलट वर्क था। मिलान का *प्रतिशत* लगभग 20-22 *प्रतिशत* था। उपर्युक्त अनुभव के आधार पर, आईटीडी ने एमआईपीपीआरए के उपयोग को स्थगित कर दिया। तथापि, उन्होने पैन की पहचान की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी भी विकल्प की संभावना का पता नहीं लगाया। मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि इन मुद्दों का डॉटा भंडारण और बिजनेस इन्टेलीजेन्स के तहत पता लगाया जा रहा है।

3.14 पैन के बिना एआईआर सूचनाऐं डीएओज़ को भेजी जानी अपेक्षित है जो निर्देश संख्या 1/2009 के पैरा 4 के अनुसार लेन-देन करने वाली सभी गैर-सरकारी पार्टियों को पूछताछ के लिए पत्र जारी करेंगे। नामित निर्धारण अधिकरियों को पता लगाने और पूछताछ पत्रों को पहुँचाने और यदि आवश्यक हो तो आगामी नोटिसों को पहुँचाने के लिए सभी संभव कदम उठाने चाहिए। नॉन-पैन एआईआर सूचना के लेन देन करने वाली पार्टियों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर, डीएओ को अपने क्षेत्र के डीआईटी (सीआईबी) को संबंधित लेनदेन करने वाली पार्टियों के पैन की सूचना देना आवश्यक है, जो कि तब आईटीडी एप्लिकेशन के एआईआर मॉड्यूल के माध्यम से नॉन-पैन एआईआर सूचना में पैन का अद्यतन करेगा। हमने पाया कि आईटीडी ने पैन की पहचान के लिए निम्नलिखित मामलों में विशेष प्रयास नहीं किए:

क. वित्तीय वर्ष 11 में केवल 26.4 *प्रतिशत* मामलों में चार राज्यों[39] में पैन की पहचान की गई।

ख. असम में, जारी किए गए 3,763 पूछताछ पत्रों के प्रति सीआईटी डिबरूगढ़ में वित्तीय वर्ष 08 के दौरान केवल पाँच मामलों में पैन की पहचान की जा सकी।

ग. गुजरात में, 13,542 पूछताछ पत्रों के प्रति वित्तीय वर्ष 09 और वित्तीय वर्ष 10 के दौरान केवल 24 *प्रतिशत* मामलों में पैन की पहचान की जा सकी।

घ. केरल में, 27,292 पूछताछ पत्रों के प्रति वित्तीय वर्ष 09 और वित्तीय वर्ष 11 के दौरान केवल 22.7 *प्रतिशत पैन* मामलों की पहचान की जा सकी।

ङ. पंजाब और आंध्रप्रदेश में, वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 10 तक और गुजरात में वित्तीय वर्ष 08 और वित्तीय वर्ष 11 में पैन की पहचान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

च. महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के चयनित प्रभार में डीएओ द्वारा पैन को अद्यतन करने के किसी भी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

3.15 आईटीडी द्वारा उन व्यक्तियों के पैन की पहचान करने के लिए जिनका पैन एआईआर में उद्धृत नहीं था, की गई कार्रवाई की व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए, हमने डीआईटी-सीआईबी मुंबई से वित्तीय वर्ष 09 (निर्धारण वर्ष 10) के लिए सूचना एकत्रित की और ₹ 30 लाख से अधिक अचल संपत्ति की खरीद से संबंधित एआईआर सूचना से 150 मामले चयनित किए जो मुख्यतः कंपनियां थी और पैन का पता लगाने की कोशिश की। हमने देखा कि आईटीडी ने इन मामलों में पैन का पता लगाने के लिए अधिक कार्रवाई नहीं की थी क्योंकि इन मामलों में आईटीडी पैन का पता लगाने में विफल रहा जबकि हम 127 लेनदेनों में पैन का पता लगा पाने में सफल रहे। पैन के अभाव में, एआईआर सूचना संबंधित निर्धारण अधिकारी को संवीक्षा निर्धारण के दौरान उपयोग के लिए नहीं दी जा सकी। 127 मामलों में पहचाने गए पैन में से हमने नमूना जाँच के लिए 35 मामलों को यह देखने के लिए चुना कि क्या एआईआर सूचना एओज़ को प्रसारित की गई थी और क्या वह व्यक्तिगत लेनदेन विवरण (आईटीएस) में दर्शाए गए थे। हमने पाया कि नमूना जाँच किए गए किसी भी मामले में आईटीएस में एआईआर सूचना नहीं दर्शायी गई थी।

[39]आंध्र प्रदेशः 26,858 पूछताछ पत्रों के प्रति 5,492; हरियाणाः 11,562 पूछताछ पत्रों के प्रति 3,659; मध्य प्रदेशः 6,086 पूछताछ पत्रों के प्रति 1,156 और पंजाबः 13,274 पूछताछ पत्रों के प्रति 4,977.

3.16 मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि व्यक्तिगत रूप से की गई जांच और साफ्टवेयर आधारित सर्च इंजन की जांच के बीच अन्तर है। साफ्टवेयर आधारित सर्च इंजन द्वारा सर्चिगं सही तरीके से परिभाषित तार्किक पैरामीटरों द्वारा की जाती है जिसमें एक तरफ स्रोत डाटा की आवश्यकता होती है और दूसरी तरफ एक लक्ष्य डाटा की। चूंकि डाटा में पैन उपलब्ध नहीं था, अतः आईटीएस नहीं बनाया जा सका। लेखापरीक्षा को लगता है कि साफ्टवेयर में उचित संशोधन द्वारा सिस्टम को सुदृढ किया जा सकता है।

3.17 तमिलनाडु में वित्तीय वर्ष 09 से वित्तीय वर्ष 11 के लिए "पैन के बिना एआईआर सूचनाओं " की कुल संख्या 1,31,117 थी जिनमें ₹ 64,450.42 करोड़ शामिल थे। तथापि, उपरोक्त एआईआर सूचनाओं के संबंध में आईटीडी पैन को नहीं पहचान सका और आईटीडी एप्लिकेशन में उन्हें अद्यतन नहीं कर सका (मार्च 2012)। इस प्रकार, पैन के अभाव में 1,31,117 मामले जॉच से बच गए क्योंकि वह कॉस के लिए उपलब्ध नहीं थे। डीआईटी/सीआईबी ने सही पते की अनुपलब्धता के कारण पैन ढूंढने में कठिनाई व्यक्त की।

3.18 हमने पाया कि वित्तीय वर्ष 11 के दौरान लेनदेन करने वाले पक्षों के पैन पाने के लिए डीआईटी (सीआईबी) हरियाणा द्वारा एआईआर फाइलरों को जारी 7,903 नोटिसों के प्रति आईटीडी को कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। आईटीडी ने इन मामलों को सीसीआईटी (उत्तर पश्चिम क्षेत्र) को भेज दिया किन्तु सीसीआईटी (एनडब्ल्यूआर)/सीसीआईटी पंचकुला ने इन्हें क्षेत्राधिकारी डीएओज को प्रेषित नहीं किया।

3.19 नॉन पैन मामलों में जहाँ पते अधूरे थे 2,596 मामलों[40] में नोटिस जारी नहीं किए जा सके और 5,355 मामलों[41] में जहाँ नोटिस जारी किए गए थे वह बिना प्राप्ति के वापस आ गए। तथापि, आईटीडी ने इन मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं की। उपलब्ध अभिलेखों में हमने पाया कि डीएओ ने पता लगाने और पूछताछ पत्रों को भेजने के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की।

निर्धारण के दौरान एआईआर सूचनाओं पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि क्षेत्राधिकारी सीआईबी ने एओ के निवेदन पर प्रतिक्रिया नहीं दी।

व्यक्ति की सही जानकारी के लिए एओ को वापिस भेजे गए मामले

3.20 एआईआर/सीआईबी द्वारा जमा सूचनाऐं पैन के आधार पर संबंधित निर्धारण प्रभारों में प्रसारित की जाती है। गलत पैन के मामले में प्रसारित सूचना को सत्यापित नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में एओ क्षेत्राधिकारी डीआईटी-सीआईबी को

[40] राजस्थान-189 मामले, मध्य प्रदेश -2,407 मामले

[41] राजस्थान-1,008 मामले, मध्य प्रदेश-1,035 मामले, केरल-3,312 मामले

स्पष्टीकरण हेतु लिखता है। डीआईटी-सीआईबी को एआईआर फाइलरों के साथ पत्राचार करना होता है और सही जानकारी प्राप्त करनी होती है और उसे आगे एओज़ को निर्धारण की जाँच के दौरान प्रयोग के लिए प्रेषित करना होता है। हमने पाया कि एओज ने क्षेत्राधिकारी डीआईटी -सीआईबी को गलत जानकारी के बारे में सूचित किया था। तथापि, डीआईटी -सीआईबी ने एओज़ को सही जानकारी प्रदान नहीं की थी। परिणामस्वरूप निर्धारण के दौरान प्रसारित जानकारी का प्रयोग नही किया जा सका। नमूना जाँच के दौरान हमने 24 मामले पाए जिनमें एआईआर/सीआईबी सूचनाओं पर निर्धारण के दौरान विचार नहीं किया जा सका क्योंकि क्षेत्राधिकारी सीआईबी ने एओ के अनुरोध पर पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी (नीचे बॉक्स 3.5 देखे)।

बॉक्स 3.5: निदर्शी मामले जहाँ एआईआर सूचनाओं पर विचार नही किया जा सका क्योंकि क्षेत्राधिकारी सीआईबी ने एओ के अनुरोध पर पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया नही दी।

क. प्रभारः सीआईटी VI मुम्बई, निर्धारण वर्ष: 09
निर्धारितीः मै. लिबर्टी आयल मिल्स लिमिटेड
निर्धारिती ने सीआईबी सूचना के अनुसार 28 मार्च 2008 को ₹ 156.95 करोड़ प्रत्येक के प्रतिफल के लिए दो अचल सम्पत्तियां हस्तांतरित की थीं। निर्धारण प्रक्रिया के दौरान निर्धारिती ने ऐसे किसी हस्तांतरण से इनकार किया। एओ ने नवम्बर 2010 में तथ्यों के सत्यापन हेतु मामला सीआईटी-सीओ को संदर्भित किया और दिसम्बर 2010 में सूचना पर विचार किए बिना निर्धारण पूरा कर दिया।

ख. प्रभारः सीआईटी-4, पुणे, निर्धारण वर्ष: 09
निर्धारितीः मैसर्स साठे बिस्किट और चाकलेट कम्पनी लिमिटेड
एआईआर के अनुसार निर्धारिती ने मार्च 2008 में महावीर को-ओप बैंक शोलापुर में म्युचुअल फंड से संबंधित ₹ 1.00 करोड़ और ₹ 1.50 करोड़ के दो लेन-देन किए। निर्धारिती और महावीर को- ओप बैंक, शोलापुर दोनों ने लेनदेन से इनकार किया। एओ ने डीआईटी-सीआईबी, पुणे से आगे का स्पष्टीकरण मांगा। डीआईटी-सीआईबी, पुणे ने बताया कि स्पष्टीकरण सीआईबी मुम्बई से क्योंकि उसने ही सूचना अपलोड की थी या एडी (सिस्टम्स) नई दिल्ली से मांगा जाना चाहिए । तथापि, एओ ने दिसम्बर 2010 में वास्तविक तथ्यों की पुष्टि किए बिना संविक्षा निर्धारण पूरा कर दिया।

एओ ने पुष्टिकरण के लिए क्षेत्राधिकारी सीआईबी को सूचना वापिस नहीं भेजी ।

क्षेत्राधिकारी सीआईबी को सूचना

3.21 हमने ऐसे 30 मामले[42] भी पाए जहाँ एओ ने क्षेत्राधिकारी सीआईबी को पुष्टिकरण के लिए सूचनाऐं वापिस नहीं भेजी (बाक्स 3.6 देखे)।

[42] एक मामला-पंजाब और 29 मामले- आंध्र प्रदेश।

बॉक्स 3.6 निदर्शी मामला जहाँ एआईआर सूचनाऐं सीआईबी को वापिस संदर्भित नहीं की गई थी।

प्रभारः सीआईटी- I चण्डीगढ़ निर्धारण वर्ष: 09
निर्धारितीः जय श्री ठाकुर, पैन-एएजीपीटी4333एच
आईटीडी ने ₹ 51 लाख के म्युचुअल फंड में निवेश की एआईआर जानकारी प्राप्त की, तथापि, निर्धारिती ने बताया कि वास्तव में वह ₹ 15 लाख थी। एओ ने स्पष्टीकरण के लिए उसे सीआईबी को वापिस नहीं भेजा। फाईल में निर्धारिती द्वारा उपलब्ध कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं लगाया गया था।

एओज के पास प्रसारित एआईआर सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबंधित डाटा नहीं था। चयनित प्रभार में एओज निर्धारित रजिस्टर में सूचनाऐं नहीं रख रहे थे।

प्रसारित की गई सूचनाओं की मानीटरिंग

3.22 सीबीडीटी के दिनांक 12 फरवरी 2009 के अनुदेश सं. 1/2009 के पैरा 7 में निर्धारित है कि सीआईटी/अतिरिक्त सीआईटी/जेसीआईटी एआईआर सूचनाओं पर की गई कार्रवाई को बारीकी से मानीटर करेंगे। इसके अतिरिक्त, डीएओ/जेएओ को तत्रैव अनुदेश के अनुबंध 4 के अनुसार एक रजिस्टर का रख रखाव करना होता है जिसमें नान फाईलरों के विवरण दर्शाए गए हों और इन रजिस्टरों का रेंज अध्यक्ष और संबंधित सीआईटी द्वारा प्रत्येक तिमाही में निरीक्षण किया जाना होता था। निर्धारित रजिस्टर के अनुरक्षण के अभाव में रेंज अधिकारी और सीआईटी, एओज को प्रसारित की गई एआईआर सूचनाओं पर की गई कार्यवाही को मानीटर और पर्यवेक्षण करने में असमर्थ रहे। हमने प्रसारित सूचनाओं की मानीटरिंग के संबंध में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई।

क. हमने पाया कि प्रसारित एआईआर सूचनाओं पर की गई कार्रवाई से संबंधित डाटा या तो एओ के पास उपलब्ध ही नही था या चयनित प्रभार[43] में एओ द्वारा निर्धारित रजिस्टर में नही रखा जा रहा था।

ख. हरियाणा में जेएओज़/डीएओज़ ने एआईआर सूचनाओं के आधार पर जाँच के लिए चुने गए मामलों की सूची को रेंज प्रभारी गुड़गांव द्वारा रेंज प्रभारी को मानीटरींग उद्देश्यो[44] के लिए प्रेषित नही किया।

[43] वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली (75 एओज में से छः एओज ने मार्च 2012 में सूचना दी कि इनका रखरखाव चालू वर्ष से किया जा रहा था और 2011 -12 के लिए ऐसे रजिस्टरों का रखरखाव नही किया गया था।) गुजरात, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश (27 एओज द्वारा रखरखाव नहीं किया गया (डीएओ/आईटीओ-1 (1), भोपाल और आईटीओ-2(2), भोपाल के अलावा किन्तु रिकार्डों को अद्यतन नहीं किया जा रहा था), महाराष्ट्र (पाँच चयनित सीआईटी-में जाँच की गई 15 रेंजों में से 11 के एओज द्वारा रखरखाव नही किया गया था।), ओडिशा, पंजाब (जॉच किए गए 60 एओज में से 59 एओज द्वारा रखरखाव नही किया गया था) राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

[44] एसीआईटी सर्किल गुडगांव को छोड़कर, या बेतरतीब आधार पर आईटीओ वार्ड 1(1) और 1(2) गुडगांव।

सूचनाओं के प्रयोग द्वारा राजस्व का सृजन

3.23 केरल में, केवल सूचनाओं के संग्रहण, संकलन, अपलोडिंग से हटकर आईटीओ (आसूचना), कोजिकोड, जिनके पास जांच विंग का अतिरिक्त प्रभार था, ने वित्तीय वर्ष 11 में उच्च मूल्य के लेनदेनों के 140 मामलों पर आगे कार्रवाई करने के लिए 6,424 सूचनाओं का प्रयोग किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.29 करोड़ के राजस्व की उगाही हुई और कर के दायरे में 35 नए निर्धारिती सम्मिलित हुए । इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 12 में 94 मामलो में सूचनाओं के उपयोग से पहले ही कर के दायरे में ₹ 4.87 करोड़ आ चुके है। इससे यह पता चलता है कि एकत्र की गई सूचनाओं के आधार पर, यदि इनका उपयोग किया जाए, कर की चोरी का पता लगाने की काफी क्षमता है। इसके अतिरिक्त, हमने पाया कि 2,933 मामलों में एओ ने एआईआर/सीआईबी सूचनाओं के उपयोग द्वारा ₹ 53.78 करोड़ और जोड़े।

अन्य विषय

निर्धारिती ने अपना पैन अन्य व्यक्ति को उपयोग करने की अनुमति दी।

3.24 सुधाकर नायक, पैन-एडीएपीएन2724के[45] के मामले की जाँच का चयन ₹ 12.58 लाख के रोकड जमा की एआईआर सूचना के आधार पर किया गया था। जनवरी 2011 में धारा 142(1) के अन्तर्गत जारी नोटिस के अनुपालन में निर्धारिती ने बताया कि उसके भाई बिजयकुमार नायक, पैन-एईबीपीएन6777एल (महावीर एंटरप्राइज़िस के मालिक) का केयोंझार में कोई बैंक खाता नही था, उसने अपने व्यवसाय से आय उसके बैंक खाते के माध्यम से की। उसने अपने भाई का एक घोषणा पत्र उसके द्वारा किए गए लेनदेन के लिए प्रस्तुत किया। एआईआर सूचनाओं के आधार पर बिना किसी बढ़ोतरी के निर्धारण 17 जनवरी 2011 को पूरा किया गया था। एआईआर सूचनाऐं भी निर्धारिती के भाई के क्षेत्राधिकारी एओ को संदमार्थ नहीं भेजी गई थी।

एओ द्वारा कार्रवाई प्रारंभ न करना

3.25 उत्तर प्रदेश में, एसीआईटी सर्कल II गाजियाबाद ने वित्तीय वर्ष 08 के लिए श्रीमती प्रकाशवती के मामले में ₹ 32.47 लाख की संपत्ति की बिक्री की एआईआर सूचना प्राप्त की। कार्यवाही के दौरान यह पता लगा कि आईटीओ 1(3), गाजियाबाद के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत एक निर्धारिती श्रीमती कैलाशो देवी को यह सम्पति ₹ 32.47 लाख के बजाय ₹ 51.63 लाख में बेची गई थी। यह सूचना 22 जून 2010 को आईटीओ 1(3) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई थी। तथापि, संबंधित एओ ने फरवरी 2012 अर्थात 20 माह बीत जाने के बाद नोटिस जारी किया।

[45] प्रभारः आईटीओ, क्योंझार प्रभार, सीआईटी सम्बलपुर ओडिशा, निर्धारण वर्ष: 10

धारा 50सी मामलों के संबंध में सूचनाऐं

3.26 सीआईबी अचल सम्पत्ति के ऐसे लेन-दनों की सूचनाऐं जहाँ पंजीकरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज में बताए गए बिक्री प्रतिफल और वास्तविक प्रतिफल जिस पर पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा स्टाम्प शुल्क प्रभावित किया गया था, में अन्तर ₹ 10,000 से अधिक हो,एक अनिवार्य स्रोत कोड के रूप में जमा करता है जिससे क्षेत्रीय एजेंसियों के राजस्व संग्रहण के प्रयास को बढाया जा सके क्योंकि राशि के अन्तर पर धारा 50सी के अन्तर्गत कर लगता है। सीआईबी ने वित्तीय वर्ष 10 और वित्तीय वर्ष 11 के लिए धारा 50सी से संबंधित 11,257 लेनदेनों जिसमें ₹ 1,302.77 करोड़ की राशि शामिल थी, की सूचनाओं को सीसीआईटी जयपुर और सीआईटी कार्यालय[46] को प्रेषित कियो। आइटीडी ने इन्हें रेंज कार्यालयों द्वारा निर्धारिती यूनिटों को प्रेषित किया। आईटीडी क्षेत्राधिकार वार ब्रेक अप और सूचनाओं का सृजन और उपयोग नही कर पाई क्योंकि अधिकतर मामलों में पैन उपलब्ध नही था और उनमें पतों में गड़बड़ी थी।

पहले के वर्षो की एआईआर सूचनाओं पर कार्रवाई प्रारंभ न करना

3.27 दिनांक 12 फरवरी 2009 के सीबीडीटी अनुदेश सं. 01/2009 के पैरा 2(बी) में प्रावधान है कि एक विशेष निर्धारण वर्ष के मामले में संविक्षा निर्धारण के दौरान प्राप्त फीडबैक पर उस मामले में उपलब्ध एआईआर सूचनाओं के आधार पर, यदि कोई हो तो, यदि उनके पास यह मानने का कारण हो कि आय का निर्धारण होने से बच गया है, एओ पहले के निर्धारण वर्षों के लिए धारा 148 के अन्तर्गत कार्रवाई कर सकता है।

3.28 मध्य प्रदेश में, हमने 11 मामलों में पाया कि एओज ने धारा 143(3) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 10 के मामलों का निर्धारण करते समय वित्तीय वर्ष 08 से संबंधित एआईआर सूचनाओं पर ध्यान नही दिया और मामलों को दोबारा खोलने का फीडबैक देने वाली एआईआर सूचनाओं की उपलब्धता के बावजूद पहले के प्रसंगिक निर्धारण वर्षों के लिए धारा 148 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ नहीं की। इस प्रकार, धारा 148 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ न करने के परिणामस्वरूप ₹ 7.42 करोड़ मूल्य के लेनदेनों का निर्धारण नहीं हुआ जिसमें ₹ 2.52 करोड़ का राजस्व शामिल था।

सिफारिशें

3.29 हम सिफारिश करते हैं कि

क. आईटीडी के विभिन्न स्तरों पर सीबीडीटी द्वारा बनाई गई मानीटरिंग प्रणाली का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने उत्तर दिया

[46] सूचनाओं की कुल संख्या के साथ उपरोक्त सूचनाओं में शामिल राशि और ऐसी सूचनाओं की मदद से जो राजस्व प्राप्त हुआ का एओ वार ब्रैकअप की सूचना सीआईटी-1 और सीआईटी-2 जयपुर और सीआईटी अलवर के पास उपलब्ध नही थी।

(दिसम्बर 2012) कि सतत विकास के साथ कार्यात्मकता में सुधार हो रहा है। आगे प्रयास जारी हैं। तथापि, कार्यान्वयन और मानीटरिंग मुद्दों के लिए अतिरिक्त मानवशक्ति की आवश्यकता है जिसके लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

ख. फार्म 60/61 में प्राप्त घोषणाओं का उपयोग अंकीकरण और उनके प्रसार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने आपत्तियों को नोट किया और सूचना दी (दिसम्बर 2012) कि अब उच्च मूल्य के फार्म 60/61 का अंकीकरण किया जा रहा है।

ग. नॉन पैन एआईआर मामलों से निपटने के लिए नियमित आधार पर नामित निर्धारण अधिकारियों के नामांकन पर जोर दिया जाना चाहिए। मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि नॉन पैन एआईआर और सीआईबी डाटा के बेहतर उपयोग के लिए तरीको को सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। सिफारिशें प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

घ. आईटीडी उन एओज पर निश्चित उत्तरदायित्व निर्धारित करे जो अपने निर्धारण के समय उपलब्ध सूचनाओं को रिकार्ड या उपयोग करने में विफल रहते हैं। मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि ऐसी सूचनाओं के संबंध में फीड बैक प्रणाली का मुद्दा सीबीडीटी के विचाराधीन था। यह देखने के लिए तरीके निकाले जाएंगे कि मानवशक्ति की कमी के दबाव के मद्देनजर आपत्तियां आगे कैसे बढ़ाई जा सकती हैं।

नई दिल्ली
दिनांकः 8 अप्रैल, 2013

(मनीष कुमार)
प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांकः 8 अप्रैल, 2013

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुबंध

सीआईबी द्वारा संग्रहीत किए जाने वाले सूचना के स्त्रोत कोड

क्रम संख्या	स्त्रोत कोड	स्त्रोत	मद
		अनिवार्य स्त्रोत कोड	
1	001	रजिस्ट्रार /स्थानीय नगर पालिका निकाय	(i) ₹ 5,00,000 या अधिक (लेकिन ₹ 30,00,000 से कम)मूल्य की अचल सम्पत्ति की विक्री और खरीद। (ii) पूँजीगत परिसम्पत्तियों के स्थानांतरण से संबंधित सूचना जिनका स्टाम्प शुल्क के उद्देश्यों के लिए घोषित मूल्य बिक्री मूल्य से अधिक है। विक्रेताओं के नाम और पते, लेन-देन की तारीख, विक्री प्रतिफल की राशि और स्टाम्प शुल्क के उद्देश्यों के लिए अपनाये गए मूल्य को शामिल करने हेतु संग्रहीत सूचना।
2	002	आरटीओज/वित्त कम्पनियाँ/कार डीलर	₹ 5,00,000 और अधिक के मूल्य के मोटर वाहनों की विक्री और खरीद।
3	003	बैंकिंग कम्पनी/वित्तीय संस्थाएं	बैंकिंग कम्पनी में ₹ 2,00,000 से अधिक सावधि जमा।
4	004	डाक घर	डाक घर बचत बैंक में किसी खाता में ₹ 2,00,000 से अधिक जमा।
5	005	होटल और रेस्टोरेंट	एक बार में ₹ 1,00,000 से अधिक की राशि का होटलों और रेस्टोरेंट को उनके बिलों के प्रति भुगतान।
6	006	बैंक	किसी एक दिन के दौरान कुल ₹ 1,00,000 या अधिक की राशि का बैंकिंग कम्पनी से बैंक ड्राफ्ट, अथवा पे आर्डर अथवा बैंकर्स चैकों की खरीद के लिए नकद अदायगी।
7	007	बैंक	किसी दिन के दौरान बैंकिंग कम्पनी में कुल ₹ 2,00,000 या अधिक नकद जमा।
8	008	ट्रेवल एजेंट/ एअरलाइन	किसी एक समय में ₹ 1,00,000 से अधिक की राशि पर किसी विदेश यात्रा के संबंध में नकद अदायगी।

9	009	बैंक और वित्तीय संस्थाएं	(i) एक व्यक्ति को जारी किए गए क्रेडिट कार्ड के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा बिलों के प्रति एक वर्ष में कुल ₹ 1,00,000 या अधिक (लेकिन ₹ 2,00,000 से कम) का भुगतान। (ii) एक व्यक्ति को जारी किए गए क्रेडिट कार्ड के संबंध में विदेशी मुद्रा में बिलों के प्रति उस व्यक्ति द्वारा एक वर्ष में ₹ 50,000 या अधिक (लेकिन ₹ 2,00,000 से कम) का भुगतान।
10	010	म्युचुअल फंड	म्युचुअल फंड यूनिटों में ₹ 1,00,000 और अधिक लेकिन ₹ 2,00,000 से कम निवेश करने वाले निवेशकों के नाम और पते।
11	011	कम्पनियों के रजिस्ट्रार/कम्पनियाँ/ संस्थाएं	एक कम्पनी या संस्था द्वारा जारी किए गए डिबेंचरों अथवा बाँडों की प्राप्ति के लिए ₹ 2,00,000 और अधिक लेकिन ₹ 5,00,000 से कम निवेश करने वाले निवेशकों के नाम और पते।
12	012	रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया	आरबीआई द्वारा जारी किए गए बाँडों की प्राप्ति के लिए ₹ 2,00,000 और अधिक लेकिन ₹ 5,00,000 से कम निवेश करने वाले निवेशकों के नाम और पते।
वैकल्पिक स्त्रोत कोड			
13	013	टेलीकाम कम्पनियाँ	इंटरनेट कनेक्शन सहित सेलुलर टेलीफोन, लैंडलाइन टेलीफोन के ग्राहक जिसका प्रतिवर्ष ₹ 1 लाख से अधिक की राशि का बिल हो।
14	014	क्लब, जिम्नेसियम्स, हेल्थ सेंटर, स्पास, होलिडे/कंट्री रिसोर्टस	कोई व्यक्ति जो ऐसे क्लब, जिम्नेसियम्स, हेल्थ सेंटर, स्पास, होलिडे/कंट्री रिजोर्ट्स जिसकी प्रवेश फीस ₹ 50,000 या अधिक है के सदस्य है।
15	015	डाक घर	₹ 1,00,000 या अधिक के किसान विकास पत्र/इंदिरा विकास पत्र/राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र की खरीद।
16	016	राज्य उत्पाद शुल्क विभाग	शराब की दुकानों के नाम और पते, प्रदत्त लाइसेंस की राशि।
17	017	विद्युत बोर्ड/उपक्रम	आवासीय परिसरों के लिए एक वर्ष में ₹ 2,00,000 और वाणिज्यिक स्थापनाओं के लिए एक वर्ष में ₹ 5,00,000 से अधिक के बिजली बिल।
18	018	बिल्डर एवं ठेकेदार /गृह सहकारी सोसाइटियाँ	व्यक्तियों के नाम और पते जिन्होंने खरीद और बिक्री के लिए करार किए हों और ₹ 10 लाख और अधिक के लेन देन के ब्यौरे।

19	019	बिल्डर एवं ठेकेदार /गृह सहकारी सोसाइटियाँ	व्यक्तियों के नाम और पते जिन्होंने वित्तीय वर्ष के दौरान कुल ₹ 10,00,000 की राशि से अधिक के ठेके/उप ठेके/सामग्री आपूर्ति ठेके/श्रम ठेके या ऐसे अन्य ठेके का भाग प्रदान किया गया हो।
20	020	शेयर और डिबेंचरों को जारी करने के लिए रजिस्ट्रार	₹ एक करोड़ से अधिक प्राईवेट प्लेसमेंटों सहित शेयरों और डिबेंचरों को जारी करने के संबंध में पते और पैन सहित आवंटितियों की पूरी सूची।
21	021	बीमा कम्पनियाँ	₹ 2 लाख और अधिक का बीमा प्रीमियम।
22	022	स्थानीय निकाय	नगरपालिका क्षेत्र में पार्किग स्लॉट के ठेकेदार।
23	023	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग	नए पंजीकरण, जुर्माना एवं शास्तियों सहित उत्पाद शुल्क भुगतान/ठेकाकर्त्ता और ठेकेदार के नाम और पते सहित ठेकों की सूची जहां वित्तीय वर्ष के दौरान दिए गए ठेके का मूल्य ₹ 5 लाख से अधिक है।
24	024	सीमा शुल्क विभाग	₹ 5 लाख से अधिक के जुर्माने और शास्तियों सहित जब्त माल, प्रदत्त शुल्क।
25	025	प्रवर्तन निदेशालय	₹ 5 लाख से अधिक के जब्ती, जुर्माना एवं शास्तियाँ फेमा उल्लंघन के मामले।
26	026	विक्री कर विभाग/व्यवसाय कर विभाग	जुर्माना और शास्तियों सहित नया पंजीकरण, प्रदत्त बिक्री/ व्यवसाय कर।
27	027	भूमि अधिग्रहण प्राधिकार	भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रदत्त ₹ 5 लाख से अधिक क्षतिपूर्ति ।
28	028	भारतीय रिजर्व बैंक	एनजीओ/ धमार्थ संस्थाओं आदि को ₹ 10 लाख से अधिक विदेश से प्रेषित धन/अनुदान आदि।
29	029	बड़े उपभोक्ता माल डीलर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्पलेक्स	₹ 2,00,000 या इससे अधिक के लिए हाई-एंड माल की खरीद।
30	030	शैक्षिक संस्थान	शैक्षिक संस्थानों में प्रबंधन कोटा तथा एनआरआई कोटा के तहत प्रवेश की अदायगी के व्यौरे और प्रति वर्ष ₹ 2 लाख से अधिक अदायगी।
31	031	स्थानीय प्राधिकरण	निर्माण योजना, नई दुकानों, बारों, भोजनालयों, सिनेमा घरों, क्लबों आदि के सार्वजनिक स्थलों के ठेकों का अनुमोदन/ मालिकों/प्रोमोटरों/बिल्डरों के नाम तथा पते के साथ संपत्तियों की सूची उस मामले में जहाँ समापन प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

32	032	दूरभाष निर्देशिका/येलो पेजेज/ व्यापार पत्रिकाएं	नर्सिंग होम, क्लिनिकों, जिमों, इंटिरियर डेकोरेटरों/ स्टडी सर्किलों, कोचिंग कक्षाएं, अतिथि गृहों, सिक्योरिटी सेवाओं जैसे सर्विस सैक्टर, इवेन्ट मैनेजर, विवाह स्थलों के प्रदाता और उत्सवों के लिए बुनियादी सेवाएं, पेशेवर सलाहकार और इनटिरियर डिजाइनर ।
33	033	व्यावसायिक/संस्थान/ निकाय/आईएमए/बार संघ/सनदी लेखाकार संघ	इस संघ के उन डाक्टरों, सनदी लेखाकारों, कॉस्ट अकाउंटेंट, वास्तुकारों, इंजीनियरों, वकीलों आदि के नाम और पते जो इन संघों के सदस्य हों।
34	034	स्थानीय प्राधिकरण या अन्य कोई संगठन	धमार्थ संगठनों तथा सोसाइटियों के नाम और पते।
35	035	स्थानीय प्राधिकरण या अन्य कोई संगठन	स्कूल एवं कालेजों तथ धमार्थ/लाभ के उद्देश्य से चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों के नाम और पते।
36	036	कम्पनियों के रजिस्ट्रार	नया पंजीकरण, व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाणपत्र।
37	037	उद्योग निदेशालय	नये उद्योगों का पंजीकरण।
38	038	निर्यात संवर्धन परिषद/ डीजीएफटी	निर्यातकों के नाम और पते और निर्यातों का विवरण।
39	039	स्टॉक एक्सेंज	स्टॉक एक्सेज कार्ड धारक, दलालों और उप दलालों की सूची।
40	040	अप्रवास प्राधिकारी	धारक द्वारा भारतीय पासपोर्ट से विदेशो में की गई यात्राऐं, करने वालों के गंतव्य, प्रस्थान की तिथि, आगमन की तिथि के व्यौरे और सुसंगत पासपोर्ट विवरण।

संकेताक्षर

एआईआर	वार्षिक सूचना विवरण
एआईएस	निर्धारिती सूचना प्रणाली
एओ	निर्धारण अधिकारी
एएसटी	मूल्यांकन सूचना प्रणाली
एवाई	निर्धारण वर्ष
सीएएसएस	कम्प्यूटर सहायता संवीक्षा चयन
सीआई बी	केन्द्रीय सूचना शाखा
डीएओ	नामित निर्धारण अधिकारी
डीजीआईटी	आयकर महानिदेशक
डीआईटी	आयकर निदेशक
ईएफएस	प्रवर्तन प्रणाली
एफवाई	वित्तीय वर्ष
आईटीडी	आयकर विभाग
आईटीएस	व्यक्तिगत लेनदेन विवरण
एमआईपीपीआरए	मल्टी इंटरैक्टिव फोनेटिक पैटर्न रेकगनिशन एल्गोरिथ्म
एनएसडीएल	नेशनल सिक्यूरीटिज डिपाजिटरी लिमिटेड
ओल्टास	ऑन लाईन टैक्स एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर
पैन	स्थायी लेखा संख्या
आरसीसी	क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र
आरआरआर	रिटर्न रसीद रजिस्टर
टैन	कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
टिन	कर सूचना नेटवर्क सुविधा केन्द्र